



**वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की दिनांक 27 मार्च, 2023 को सम्पन्न कार्य परिषद की 13 वीं बैठक का कार्यवृत्त**

प्रस्तावना:- वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 13वीं कार्यपरिषद की बैठक विश्वविद्यालय के सभागार में मा० कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद, वि०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 27 मार्च, 2023 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्नलिखित उपस्थित रहें:-

01	प्रो० ओंकार सिंह, कुलपति, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०, देहरादून	अध्यक्ष
02	प्रो० प्रदीप कुमार, प्रतिनिधि, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	सदस्य
03	डॉ० अलकनन्दा अशोक, डीन कॉलेज ऑफ़ टैक्नोलॉजी, पंतनगर, प्रतिनिधि कुलपति, जी०बी०पी०यू०ए०टी०, पंतनगर	सदस्य
04	श्री प्रकाश तिवारी, उप सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
05	श्री आर०के० श्रीवास्तव, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
06	श्री अरविन्द सिंह पांगती, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
07	श्रीमती दीप्ती मिश्रा, उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
08	श्रीमती किरण भट्ट टोडरिया, उत्तराखण्ड पूर्व फिक्की अध्यक्ष, उत्तराखण्ड	सदस्य
09	श्री पंकज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, उत्तराखण्ड	सदस्य
10	प्रो० दुर्गेश पंत, महानिदेशक, यू कॉस्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड	सदस्य
11	श्रीमती मीना तिवारी, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
12	डॉ० डी०पी० गैरोला, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
13	प्रो० शरद कुमार प्रधान, निदेशक, टी०एच०डी०सी०-आई०एच०ई०टी०, नई टिहरी, उत्तराखण्ड	सदस्य
14	प्रो० संजीव नैथानी, कार्यवाहक निदेशक, आई०टी० गोपेश्वर, उत्तराखण्ड।	सदस्य
15	प्रो० सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०, देहरादून	प्रदेन सचिव

सर्वप्रथम मा० कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया एवं विश्वविद्यालय द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षण कार्यों के संचालन हेतु किये जा रहे प्रयासों व सभी हितधारकों के सहयोग की अपेक्षा की गई। तदुपरान्त बैठक में माननीय सदस्यों के समक्ष चर्चा/अनुमोदन हेतु ऐजेण्डा बिन्दु प्रस्तुत किये गये, जिन पर चर्चा उपरान्त लिये गये निर्णयों/कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-

बिन्दु- 13.01

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की 08 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न हुई "कार्य परिषद" की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

मा० कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय की दिनांक 08 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न "कार्यपरिषद" की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

A.A.  
27/3/23

*(Handwritten signatures and notes)*  
Please refer attached information regarding Agenda Point 12.20 of 12th Box.  
1

बिन्दु सं०- 13.02

कार्य परिषद् की दिनांक 08 सितम्बर 2022 को सम्पन्न हुई 12 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना कार्यपरिषद् के माननीय सदस्यों के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

परिषद् के सम्मानित सदस्यों द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न कार्यपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में पूर्ण हो चुकी कार्यवाहियों से अवगत होते हुए जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही गतिमान है, उन पर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं०-13.03

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद तथा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का अनुमोदन।

विनिश्चय:-

विश्वविद्यालय की दिनांक 20-03-2023 को सम्पन्न विद्या परिषद की 14 वीं बैठक एवं परीक्षा समिति की दिनांक 21.09.22 को सम्पन्न 31वीं बैठक, दिनांक 16.11.22 को सम्पन्न 32वीं बैठक तथा दिनांक 23.03.2023 को सम्पन्न 33वीं बैठक के कार्यवृत्तों का कार्यपरिषद् द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया। संदर्भित बैठकों के अनुमोदित कार्यवृत्त सलंगन है (सलंगनक-1)।

बिन्दु सं०-13.04

विश्वविद्यालय की 20 वीं वित्त समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन।

विनिश्चय:-

बैठक में दिनांक 27-03-2023 को सम्पन्न विश्वविद्यालय की 20 वीं वित्त समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुरूप जारी होने वाले कार्यवृत्त का मा० परिषद् द्वारा अग्रिम अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं० -13.05

विश्वविद्यालय में नव नियुक्त परीक्षा नियंत्रक के पदभार की सूचना मा० कार्यपरिषद् के अवगतनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

मा० कार्यपरिषद् डॉ० वी०के० पटेल द्वारा विश्वविद्यालय में नये परीक्षा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किये जाने की सूचना से अवगत हुई।


बिन्दु सं० -13.06

विश्वविद्यालय में नव नियुक्त कुलसचिव के पदभार की सूचना मा० कार्यपरिषद् के अवगतनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

मा० कार्यपरिषद् प्रो० सत्येन्द्र सिंह द्वारा विश्वविद्यालय में नये कुलसचिव के रूप में पदभार ग्रहण किये जाने की सूचना से अवगत हुई।

Hisha  
27/3



बिन्दु सं०-13.07

विश्वविद्यालय के कुलसचिव कक्ष में दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को लगी आग की सूचना एवं हो रही कार्यवाही पर चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय:-

मा० कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव कक्ष में दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को लगी आग के सम्बन्ध में आंतरिक जांच कराते हुए सम्बन्धित थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। मा० परिषद् द्वारा पुलिस जांच की कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में सहमति प्रदान की गयी तथा सम्बन्धित थाने को प्रकरण पर शीघ्र जांच किये जाने के लिये विश्वविद्यालय स्तर पर पुनः अनुस्मारक पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

साथ ही कुलसचिव कार्यालय की पुर्नस्थापना की प्रक्रिया में अनुमानित व्यय रू० 7.00 लाख के व्यय के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-13.08

विश्वविद्यालय में दिनांक 27 जनवरी, 2023 स्थापना दिवस समारोह प्रथम एल्यूमिनी मीट एवं राज्य सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को रू० 50000/- के प्रोत्साहन धनराशि वितरण कार्यक्रम की सूचना एवं अनुमोदन।

विनिश्चय:-

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के दिनांक 27 जनवरी, 2023 को सम्पन्न 19वें स्थापना दिवस समारोह, परिसर में एक T-55 टैंक तथा वीर माधों सिंह भण्डारी की प्रतिमा की स्थापना, टैंक व प्रतिमा हेतु पेडस्टेल के निर्माण, नव सृजित UTU Alumni Association के तत्वाधान में प्रथम एल्यूमिनी मीट के आयोजन तथा राज्य सरकार की योजना अनुसार उत्तराखण्ड के मूल निवासी छात्रों को आई०आई०टी०, एन०आई०टी० व आई०आई०एम० में प्रवेश प्राप्त होने पर प्रोत्साहन धनराशि हेतु चयनित 251 छात्रों को प्रोत्साहन धनराशि के वितरण का कार्योत्तर अनुमोदन मा० कार्यपरिषद् द्वारा प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-13.09

विश्वविद्यालय द्वारा निम्न संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के मध्य एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित किये गये, जो विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित किये गये है। कार्यपरिषद् के मा० सदस्यों के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and KVS Premier Foundation, Kashipur- **Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and Indian StartUps Organization, Derhadun- **Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and Centre For Development of Advanced Computing (CDAC) Hyderabad- **Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and Indian Military Academy (IMA ) Post Graduate Diploma in Military Studies & Defence Management (PGDMS&DM) - **Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and CMAI Association of India & TEMA (Telecom Equipment Manufacturer's) - **Signed**

HA  
.. 27/3

Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including names like "Kushmaish", "Sikha", "P. Kumar", and "S. Kumar".

- MOU Signed Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and National Institute of Electronics & Information Technology, (NIELIT) HARIDWAR - **Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and SPNG Group(Kashi Vishwanath Textile Mill (P) Limited ) – **To be Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and Technology Incubation and Entrepreneurship Development Society (TIEDS) – **To be Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and Acetians Technology Pvt Ltd) (ATPL) – **To be Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and Kaspersky Lab Singapore PTE Ltd – **To be Signed**
- MOU Between Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Dehradun and Pramod Bharti, New Cantt Road Dehradun, for "Savitri Bharti Memorial Scholarship" - **To be Signed**
- MOU Between VMSBUTU and Sh. Rajesh K. Srivastava for Scholarship- **To be Signed**

विनिश्चय-

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ निष्पादित किये गये ए0ओ0यू0 तथा प्रस्तावित एम0ओ0यू0 को आवश्यकतानुसार निष्पादित करने के प्रस्ताव पर कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-13.10

दिनांक 08-09-2022 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी शर्तों के हटाने के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-2130/वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि./2022 दिनांक 21-10-2022 के माध्यम से 05 इंजीनियरिंग संस्थान यथा-1. प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर, 2. महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून, 3. डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर, 4. नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ एवं 5. टी.एच.डी.सी.-आई.एच.ई. टी. नई टिहरी को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों के रूप में संचालित करने हेतु कृत कार्यवाही मा0 सदस्यों के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय-

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के निर्णय दिनांक 08-09-2022 के अनुपालन में प्रेषित प्रस्ताव पत्र संख्या कैंप मैमों/वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0/2022 दिनांक 08/09/2022 में विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी शर्तों के हटाने के राज्य सरकार के निर्देश पत्र संख्या 1144/XLI-A/2022-65/2022 दिनांक 10/10/2022 के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-2130/वी. मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि./2022 दिनांक 21-10-2022 के माध्यम से निम्नानुसार 05 संस्थानों को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों के रूप में संचालित करने का राज्य सरकार को प्रेषित पुनरीक्षित प्रस्ताव को विद्या परिषद् के अनुमोदन के क्रम में मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर;
2. महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून;
3. डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर;
4. नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़;
5. टी.एच.डी.सी.-आई.एच.ई.टी. नई टिहरी।

HL  
27/3

Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including names like "Ankur", "Suman", and "Rachan".

बिन्दु सं०-13.11-

विश्वविद्यालय में पूर्णतया स्ववित्त पोषित आधार पर बी०टेक० साइबर सुरक्षा (B.Tech- Cyber Security) एवं बी०टैक० कम्प्यूटर साइंस (B.Tech- Computer Science) व पी०जी० डिप्लोमा इन साइबर सिक्युरिटी पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने का प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

1. वर्तमान में कम्प्यूटर साइंस व साइबर सुरक्षा क्षेत्रों में तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र से बी०टेक० साइबर सुरक्षा (60 क्षमता), पी०जी० डिप्लोमा इन साइबर सिक्युरिटी (60 क्षमता) व बी०टैक० कम्प्यूटर साइंस (60 क्षमता) पाठ्यक्रम को स्ववित्त पोषित आधार पर रू० 75000/- प्रतिवर्ष शिक्षण शुल्क बी०टैक० हेतु एवं रू० 35000/- प्रतिवर्ष शिक्षण शुल्क पी०जी० डिप्लोमा हेतु (अन्य शुल्क अतिरिक्त) के साथ संचालित किये जाने का प्रस्ताव सत्र 2023-24 से संचालन हेतु विद्या परिषद् के अनुमोदन के क्रम में मा० कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. उपरोक्त नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शिक्षकों की आवश्यकता को अस्थायी आधार पर ए०आई०सी०टी०ई०/यू०जी०सी० के मानकों के अनुरूप प्रभावी व्यवस्था के क्रम में Professor of Practice, Adjunct Faculty, Guest Faculty तथा Outsource के माध्यम से पूरा किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को कार्यपरिषद् द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु अनुमोदित किया गया।
3. इन पाठ्यक्रमों के सुचारु संचालन हेतु आवश्यकतानुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं ख्याति प्राप्त संस्थानों के साथ MOU/Consortium तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय को अधिकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

बैठक में मा० कार्यपरिषद् के सदस्य श्री पंकज कुमार गुप्ता द्वारा दिये गये Renewable Energy तथा फ़ैशन टेक्नोलॉजी में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने के सुझाव पर कार्यपरिषद् द्वारा इसकी संभावनाएं तलाशते हुए अग्रिम कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं०-13.12

विश्वविद्यालय में पूर्णतया स्ववित्त पोषित आधार पर बी०फार्मेसी (60 प्रवेश क्षमता) नवीन पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने एवं एम०फार्म० में क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

1. मा० कार्यपरिषद् द्वारा विद्या परिषद् के अनुमोदन के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित आधार पर रू० 75000/- प्रतिवर्ष के शिक्षण शुल्क (अन्य शुल्क अतिरिक्त) के साथ नवीन बी०फार्मेसी पाठ्यक्रम (60 प्रवेश क्षमता) को संचालित किये जाने तथा एम०फार्म० की क्षमता वृद्धि हेतु नियमानुसार कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. उपरोक्त नवीन पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शिक्षकों की आवश्यकता को अस्थायी आधार पर ए०आई०सी०टी०ई०/यू०जी०सी०/पी०सी०आई० के मानकों के अनुरूप प्रभावी व्यवस्था के क्रम में Professor of Practice, Adjunct Faculty, Guest Faculty तथा Outsource के माध्यम से पूरा किये सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपरिषद् द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं०-13.13

विश्वविद्यालय में Centre of Excellence in Cyber Security, स्थापित किये जाने का प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

AL  
..27/3

Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including names like "Rishu", "Anurag", "Suman", and "Anurag".

विनिश्चय-

मा0 कार्यपरिषद् द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए साइबर सुरक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय की अग्रणी भूमिका में पहल किये जाने तथा संचालित पाठ्यक्रमों में छात्रों को साइबर सुरक्षा के समुचित ज्ञान हेतु विश्वविद्यालय में **Centre of Excellence in Cyber Security** स्थापित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करते हुए मा0 कार्यपरिषद् के सदस्य श्री पंकज कुमार गुप्ता द्वारा दिये गये विश्वविद्यालय में **Centre of Design and Creativity** स्थापित किये जाने के सुझाव पर कार्यपरिषद् द्वारा इसकी संभावनाएं तलाशते हुए अग्रिम कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं0-13.14

12वीं कार्य परिषद की बैठक के उपरांत राज भवन से प्राप्त संबद्धता आदेशों का विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के मा0 सदस्यों का अनुमोदन।

विनिश्चय:-

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों को कार्यपरिषद् की 12वीं बैठक के उपरांत राजभवन से आतिथि तक प्राप्त सम्बद्धता आदेशों पर कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 02 संस्थानों, जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 से निजी विश्वविद्यालय बन गये हैं, की सूचना से मा0 परिषद् को अवगत कराया गया।

1. कोर स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट, रूड़की-हरिद्वार रोड, रूड़की।
2. सूरजमल लक्ष्मीदेवी सार्वथिया एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, किच्छा, यू0एस0 नगर।

बिन्दु सं0-13.15

श्री सुनील कुमार को मा0 कुलपति महोदय के स्टाफ ऑफिसर बनाये जाने की सूचना कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

मा0 कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय कार्यों के सुचारू संपादन हेतु मा0 कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में स्टाफ ऑफिसर के पदनाम से स्टाफ आफिसर का अतिरिक्त प्रभार किसी को देते हुए सलंगन विवरणानुसार (सलंगनक-2) इंगित दायित्वों के साथ दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-13.16

विश्वविद्यालय में सौर पॉवर सयन्त्रों को स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपरिषद् के मा0 सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ:-

विनिश्चय-

विश्वविद्यालय में वर्तमान उर्जा आवश्यकता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय को सौर उर्जा संचालित परिसर बनाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा0 कार्यपरिषद् द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सौर पॉवर सयन्त्रों को सरकार द्वारा प्रभावी सौर उर्जा नीति के अनुसार विश्वविद्यालय के संसाधनों से स्थापित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-13.17

मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड की घोषणा के क्रम में विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेन्स हॉल का नाम "पंडित नारायण दत्त तिवारी कॉन्फ्रेन्स हॉल" रखे जाने का अनुमोदन।

विनिश्चय-

मा0 कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेन्स हॉल का नाम "पंडित नारायण दत्त तिवारी कॉन्फ्रेन्स हॉल" के नाम से रखे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like P. Kumar, Anand, and others. A small box with the number 6 is visible on the right side.

बिन्दु सं०-13.18

विश्वविद्यालय हेतु शासन द्वारा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से सृजित पूर्व पदों पुर्नबहाल/पुर्नजीवित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का अनुमोदन।

विनिश्चय -

बैठक में विश्वविद्यालय में सृजित पदों एवं कार्य निस्तारण हेतु वांछित कार्मिकों पर चर्चा हुई। शासनादेश सं० 833/XLI-1/18-39/2005 दिनांक 23 नवम्बर, 2018 के द्वारा विश्वविद्यालय के ढांचे को पुर्नगठित करते हुए समाप्त किये गये पूर्व सृजित 27 पदों को आवश्यकता के क्रम में इंजीनियरिंग, फार्मसी, एमबीए एवं विधि पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु पुर्नबहाल/पुर्नजीवित किये जाने का प्रस्ताव तैयार करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में मा० कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-13.19

विश्वविद्यालय को NAAC Accreditation व 12(B) Status के संबंध में मा० कार्य परिषद् के सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव पर चर्चा व अनुमोदन।

विनिश्चय-

बैठक में चर्चा उपरांत मा० कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को NAAC Accreditation व 12(B) दिलाये जाने के लिए प्रस्ताव नियामक संस्था को भेजे जाने एवं इस हेतु वांछित कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-13.20

विश्वविद्यालय में First Annual Athletics Meet तथा Techno-Cultural Festival के आयोजन की सूचना एवं अनुमोदन।

विनिश्चय-

मा० कार्यपरिषद् द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए "कौथिग-2023" (Kauthig-2023) के नाम से विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित First Annual Athletics Meet तथा Techno-Cultural Festival पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं अपेक्षा की गई कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को भव्यता के साथ वृहद स्तर पर आयोजित किया जाये।

बिन्दु सं०-13.21

विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2022-23 में हुए प्रवेश एवं विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2023-24 से विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

विनिश्चय-

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में पूर्व शैक्षिक सत्र 2021-22 की तुलना में शैक्षिक सत्र 2022-23 में हुई लगभग 19 प्रतिशत छात्र संख्या वृद्धि के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश बढ़ाये जाने हेतु किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों तथा समस्त प्रवेश प्रक्रिया को "एकल खिड़की" व्यवस्था के अन्तर्गत यू०के०एस०ई०ई० परीक्षा में समुचित प्रतिभागी न होने के दृष्टिगत इसे समाप्त करते हुए विश्वविद्यालय के University Management System से मेरिट आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में समस्त वांछित कार्यवाही करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including "27/3" and various names in blue ink.

बिन्दु सं०-13.22-

शोध सह शिक्षण फेलोशिप योजना (Research cum Teaching fellowship Scheme) को विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने हेतु अनुमोदन।

विनिश्चय:-

विद्या परिषद् के अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय में शोध कार्यो को गतिमान करने हेतु -शोध सह शिक्षण फेलोशिप योजना (Research cum Teaching fellowship Scheme) विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव तथा प्रस्तुत योजना जिसमें रू० 20000/- प्रतिमाह की छात्रवृत्ति सामान्यतः 03 वर्ष व अधिकतम 04 वर्ष तथा रू० 30000/- प्रतिवर्ष की Contingency अधिकतम 03 साल दिये जाने का प्राविधान किया गया है, को मा० कार्यपरिषद् द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सहर्ष अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं०-13.23-

विश्वविद्यालय में स्नातक तथा परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रोजेक्ट/डिजर्टेशन में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

विनिश्चय:-

विद्या परिषद् के अनुमोदन के क्रम में मा० कार्यपरिषद् द्वारा सम्बद्ध संस्थानों में अध्ययनरत स्नातक/परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रोजेक्ट/डिजर्टेशन कार्यो हेतु रू० 5000/- प्रति प्रोजेक्ट/डिजर्टेशन की अधिकतम वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित धनराशि की बजट सीमा के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के उपयुक्त पाये जाने पर दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही इंडस्ट्री ऐसोसियेशन के अध्यक्ष श्री पंकज कुमार गुप्ता के इस मद में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव पर कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा अपेक्षा की गई इसमें आवश्यकतानुसार ज्यादा से ज्यादा उपयुक्त लाभार्थी छात्रों को सहायता देने सम्बन्धी वांछित कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से की जाये।

बिन्दु सं०-13.24

विश्वविद्यालय में एम०बी०ए० पाठ्यक्रम में शिक्षकों को आउटसोर्स के आधार पर रखे जाने हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय:-

1. ए०आई०सी०टी०ई०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि हेतु जारी दिशा/निर्देशों तथा वर्तमान में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार आउटसोर्स व्यवस्था के अन्तर्गत उपनल अथवा अन्य आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से यथा प्रभावी शासनादेशों के अन्तर्गत शिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से नितान्त अस्थायी आधार पर रखे जाने का प्रस्ताव कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।
2. साथ ही विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की आवश्यकता अध्यापन भार के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से पूर्ण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

H  
27/3

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like P. Kumar and L. Kumar.



बिन्दु सं०-13.25

दीक्षांत समारोह के आयोजन एवं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को उपाधियां संस्कृत भाषा में प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपरिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

विद्या परिषद् की 14वीं बैठक में दिये गये अनुमोदन के क्रम में शैक्षिक सत्र 2021-22 तथा 2022-23 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्रों को आगामी माह सितम्बर, 2023 में प्रस्तावित दीक्षांत समारोह आयोजित कर उपाधियां वितरित किये जाने तथा उत्तराखण्ड राज्य की द्वितीय आधिकारिक भाषा "संस्कृत" होने दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को आगामी दीक्षांत समारोह से उपाधियां हिन्दी, अंग्रेजी के साथ संस्कृत भाषा में भी मुद्रित कराते हुए दिये जाने पर कार्यपरिषद् द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-13.26

विश्वविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

1. मा० कार्यपरिषद् द्वारा बैठक में विस्तृत चर्चा उपरान्त आवश्यकता के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में **Academic Block, Hostel (100 Bed), Guest House, Central Library, Indoor Stadium, Officers/Staff Residential quarter** सम्बन्धी निर्माण कार्य कराये जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुदान हेतु प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गई।
2. मा० कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में नये निर्माण कार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर कार्यवाही हेतु "भवन निर्माण समिति" निम्नानुसार गठित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
  - I. सिविल इंजीनियरिंग के आचार्य स्तर के शिक्षक, जो कुलपति द्वारा नामित होंगे:- अध्यक्ष।
  - II. राजकीय/राजकीय उपक्रम के अधिशासी अभियंता से अनिम्न अभियंता जो कुलपति द्वारा नामित होंगे-सदस्य।
  - III. कुलपति द्वारा नामित निर्माण इकाई/संस्था से सम्बद्ध अनुभवी विषय-विशेषज्ञ-सदस्य
  - IV. कुलपति द्वारा नामित अनुभवी आर्किटेक्ट-सदस्य
  - V. कुलसचिव-संयोजक सदस्य

बिन्दु सं०-13.27

विश्वविद्यालय में हिमालयन वेलनेस कंपनी द्वारा प्रायोजित प्रोफेसर चेरर स्थापित किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपरिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

बैठक में चर्चा हुई। हिमालयन वेलनेस कंपनी के व्यय से प्रायोजित प्रोफेसर चेरर, प्रायोजित मेडल, प्रायोजित छात्रवृत्ति, प्रायोजित प्रयोगशाला आदि पर अग्रिम कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा० परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-13.28

विश्वविद्यालय की विनियमावली-2018 अनुसार उपकुलसचिव की नियुक्ति उत्तराखण्ड लोकसेवा आयोग के माध्यम से किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद् सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like "P. Kumar", "Luh naise", and "Suman". There is also a date "27/3" and a page number "9" in a box.

विनिश्चय-

बैठक में चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय में नियमित उपकुलसचिव की नियुक्ति विश्वविद्यालय विनियमावली-2018 के अध्याय-2 की धारा 2.07 में दी गयी व्यवस्था:-

“उप कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, उप कुलसचिव के पद के लिए न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव निम्नवत होगी। उप कुलसचिव की नियुक्ति उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की जायेगी” अनुसार लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने पर मा0 कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-13.29

विश्वविद्यालय में सम्बद्धता प्रक्रिया को परिमार्जित करने के सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यपरिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

1. बैठक में चर्चा हुई। मा0 कार्यपरिषद् द्वारा सम्बद्धता प्रणाली ऑनलाईन तथा पारदर्शी बनाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर की जा रही कार्यवाही की प्रशंसा की गयी तथा शैक्षिक सत्र 2023-24 से ऑनलाईन सम्बद्धता पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय के सम्बद्ध संस्थानों की अस्थाई सम्बद्धता/अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की कार्यवाही निम्नवत किये जाने हेतु परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

#### Step-1 Application Submission at Institution Level

- 1(a) - Online Submission of Affiliation Fee & Inspection Charges by the institution through Online Affiliation Portal of University
- 1(b) - Filling up of the affiliation format by the institute for the respective program(s) and uploading all related documents in the online affiliation portal
- 1(c) - After filling the online affiliation format and uploading the documents, the preferred date slot for on site visit by the inspection committee will be submitted by the institute
- 1(d) - Submission of complete proposal comprising of steps 1a, 1b & 1c for the academic session 2023-24 by the institute on the online affiliation portal

#### Step-2 University and Inspection Panel Level

- 2(a) - University will open call for empanelment of subject experts.
- 2(b) - Panel formation after receipt of online proposal and applicable fees by University
- 2(c) - Constitution of the inspection panel and intimation to the members of the panel
- 2(d) - Providing date for on site inspection to the nominated inspection panel, during the preferred date slot submitted by institute
- 2(e) - The inspection panel members will confirm their availability on the date given by the University for inspection
- 2(f) - In case of non-availability of any of panel member the steps 2a to 2d will be carried out again till date is finalized and inspection panel is complete.
- 2(g) - University informs the concerned institute about the date of on site inspection.
- 2(h) - University will make all arrangements for travel from place of stay of each panel member to the concerned institute and back. Also, the stay requirement, if any will be done by the University. No financial transaction is permitted between the institute and members of inspection panel.

AL  
..27/3

Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including names like "Anshu", "Suman", and "Sachin".

### Step-3 University and Inspection Panel Level

- 3(a) - Completion of the on site inspection of the concerned institute on the assigned date.
- 3(b) - Online Submission of inspection report by the panel to the University before departing from the respective institute.
- 3(c) - Online Submission of Remuneration bill by each panel member to the University after completion of inspection and payment of remuneration shall be made by University to each member of inspection panel directly after receipt of inspection report in the University online through the portal.
- 3(d) - Institute will get complete videography of inspection process and send the CD/Pendrive to University immediately after inspection is over.

### Step-4 University Panel Level

- 4(a) - Checking the inspection report, Videography and processing at University for deciding further course of action in the matter of affiliation.
- 4(b) - Sending the Inspection Report to Rajbhawan, Uttarakhand for Necessary Action.
- 4(c) - Release of provisional affiliation letter.
- 4(d) - Approval of Executive Council to grant affiliation to Institutions

2. प्रस्तावित प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर संस्थान द्वारा निरीक्षण समिति के सदस्यों को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान न किये जाने अपितु निरीक्षण की कार्यवाही में होने वाले सम्पूर्ण व्यय यथा-सदस्यों की यात्रा, ठहरने की व्यवस्था में होने वाले व्यय तथा मानदेय का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा स्तर पर वहन किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रचलित सम्बद्धता की सम्पूर्ण प्रक्रिया को कैशलेस (Cashless) करने के उद्देश्य से संस्थानों से सम्बद्धता शुल्क (Affiliation Fee) के साथ निरीक्षण शुल्क (Inspection Charges) निम्नानुसार जमा कराये जाने के साथ संस्थान द्वारा सम्पूर्ण निरीक्षण की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराते हुए विश्वविद्यालय में प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने पर मा० कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया:-

### Present Rate of Affiliation Fees & Proposed Rate of Inspection Charges (To be taken in addition to the existing Affiliation fee)

Sl No.	Programme	Present Rate of Affiliation Fees (Per Year) + 18% GST Extra	Proposed Rate of Inspection Charges in addition to affiliation fees at present rate
01	UG- ❖ B.Tech	Rs. 30000/- per branch	Rs. 20000/- per subject expert as deputed + Rs. 60000/- for All Related Branches including Other Courses
	PG- ❖ M.Tech	Rs. 100000/- for All Branches	
02	UG- ❖ B.Pharma ❖ BHMCT ❖ LLB PG- ❖ MBA ❖ MCA ❖ M.Pharma ❖ LLM ❖ Pharm.D	Rs. 100000/- per Course	Rs. 20000/- per subject expert as deputed + Rs. 60000/- for Related Course including Other Courses
03	UG ❖ BALLB ❖ BBALLB	Rs. 50000/-	Rs. 20000/- per subject expert as deputed + Rs. 60000/- for Related Course including Other Courses
04	Processing Fees New Course/New Branch/Increase of Intake	Rs. 125000/- One time	Rs. 20000/- per subject expert as per new course/new branch/seat increase + Rs. 60000/- for new course/new branch/seat increase

*Handwritten signatures and initials:*  
A. 27/3  
Ee  
P Kumar  
Suman S  
G. S. Chakraborty  
105  
11

बिन्दु सं०-13.30

विश्वविद्यालय परिसर की बाउंड्री वाल के निर्माण, उत्तरपुस्तिकाओं हेतु स्टोर, विश्वविद्यालय ग्राउंड में टॉयलेट के निर्माण आदि अन्य रेनोवेशन सम्बन्धी कार्यों हेतु प्रस्ताव कार्यपरिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा हुई। मा० कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय परिसर की टूटी हुई बाउंड्री वाल के निर्माण कार्य कराये जाने, परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं को संरक्षित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय भवन में भंडारण के निर्माण, ई०आर०पी० कक्ष में Mezzanine भंडार तैयार करने, विश्वविद्यालय कीड़ा स्थल पर छात्रों हेतु बॉयज/गर्ल्स टॉयलेट के निर्माण तथा विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न स्थानों में छोटे-छोटे रेनोवेशन आवश्यकतानुसार कार्य किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-13.31

विश्वविद्यालय में अवर अभियन्ता इलैक्ट्रिकल एवं अवर अभियन्ता सिविल प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने हेतु स्कुटनी समिति की संस्तुति सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में मा० कार्यपरिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की 12वीं बैठक में लिये गये निर्णयों/अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय में अवर अभियन्ता इलैक्ट्रिकल एवं अवर अभियन्ता सिविल प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त प्राप्त आवेदनों का स्कुटनी समिति द्वारा परीक्षण किया गया। स्कुटनी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय में उपरोक्त पदों हेतु सभी आवेदनकर्ता पदों हेतु निर्धारित योग्यता/अनुभव पूर्ण नहीं कर पायें।

तत्कम में मा० कार्यपरिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में अवर अभियन्ता इलैक्ट्रिकल एवं अवर अभियन्ता सिविल प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने की सम्पन्न प्रक्रिया में समुचित अर्ह आवेदन प्राप्त न होने के दृष्टिगत पुनः विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का प्रस्तुत प्रस्ताव मा० कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं०-13.32

विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित प्रिफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर को Faculty of Technology एवं Faculty of Management हेतु प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

विनिश्चय:-

मा० कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित प्रिफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का उपयोग Faculty of Technology एवं Faculty of Management के संचालन एवं इसे आवश्यकतानुसार सुसज्जित कर विश्वविद्यालय में गुणवत्तापरक अध्यापन कार्यों के विस्तार हेतु करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

M  
22/3

बिन्दु सं०-13.33

विभिन्न शिकायती प्रकरणों पर विश्वविद्यालय स्तर पर गठित जांच समितियों द्वारा जांच निस्तारण सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यपरिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय स्तर पर शिकायती प्रकरणों के निस्तारण हेतु समय-समय पर गठित जांच समितियों को सामान्यतः अधिकतम 04 बैठकों में प्रकरणों का यथा संभव निस्तारण कर अपनी आख्या दिये जाने तथा जांच समितियों द्वारा शिकायतों के निस्तारण हेतु 04 से अधिक बैठके किये जाने की दशा में भी अधिकतम 04 बैठकों के भुगतान (अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ते हुए) करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा० कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-13.34

सम्बद्ध संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अस्थाई सम्बद्धता/अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण सम्बन्धी प्रस्तावों में प्राभूत राशि हेतु उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-649/XXIV(3)/2016-01(30)/2015, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 के अनुपालन सम्बन्धी प्रस्ताव मा० परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। राजभवन, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उच्च शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-649/XXIV(3)/2016-01(30)/2015, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 में प्राभूत राशि हेतु दी गयी निम्न व्यवस्था अनुसार कार्यवाही किये जाने पर कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

“यदि महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान राज्य सरकार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है तो उसे यह साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के पास कम से कम तीन वर्षों तक बिना किसी सहायता या बाहरी स्रोत के चलाने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के लिए यह आवश्यक नहीं है। पुनः अशासकीय महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को मानविकी विज्ञान तथा वाणिज्य में पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में रु० 15 लाख तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने की दशा में रु० 35 लाख अथवा सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित धनराशि (जो दोनों में अधिक हो) प्रति पाठ्यक्रम की दर से महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के नाम अप्रतिस्वहणीय (Irrevocable) सरकारी प्रतिभूति के रूप में स्थायी कायिक निधि (Corpus Fund) का सृजन तथा उससे रख रखाव का साक्ष्य, महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान द्वारा उपर्युक्त धनराशियों की विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान के संयुक्त नाम से न्यूनतम तीन वर्षों की लॉक इन अवधि की सावधि-जमा भी करवाई जा सकती है। यह सावधि जमा से प्राप्त ब्याज का उपयोग, विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान की संरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ करने के लिए किया जा सकता है। महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान को यह भी साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि उसके पास सतत रूप से कार्य करने के लिए स्वयं के स्रोतों से पर्याप्त आवृत्ति आय (Recurring Income) उपलब्ध है”।

11/27/3

*(Handwritten signatures and initials)*

बिन्दु सं०-13.35

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान गुरुकुल ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, सेलाकुई द्वारा जमा करायी गयी प्लेज्ड एफ०डी०आर० (रु० 14.00 लाख) अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

दि गुरुकुल ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित सेलाकुई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, सेलाकुई, देहरादून के बंद होने के उपरांत संस्थान में बी०टैक०, एम०बी०ए० तथा एल०एल०एम० पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय में प्लेज्ड एफ०डी०आर० को संस्थान के पक्ष में अवमुक्त किये जाने/न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विस्तृत चर्चा कर सम्यक विचारोपरान्त मा० कार्यपरिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण में मा० लोकपाल को निम्न कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव प्रेषित कर उनके स्तर से निर्देश लेते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाये।

1. प्रश्नगत प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में इस आशय का विज्ञापन निर्गत किया जायेगा कि "संस्थान के उपर किसी की भी लेनदारी हो तो विज्ञापन जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि तक विश्वविद्यालय को अवगत कराया जा सकता है, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
2. विज्ञापन की कार्यवाही के उपरांत प्राप्त जानकारी पर प्लेज्ड धनराशि में से नियमानुसार शुल्क वापसी की कार्यवाही के उपरांत संस्थान से इस आशय का शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में जमा कराया जायेगा कि "यदि संस्थान पर भविष्य में इन बंद हुए पाठ्यक्रमों के परिपेक्ष्य में किसी की देनदारी सुनिश्चित होती है, तो संस्थान उसकी प्रतिपूर्ति करने हेतु वचनबद्ध होगा।
3. विज्ञापन कार्यवाही में होने वाले व्यय का वहन संदर्भित संस्थान द्वारा किया जायेगा।

प्रकरण पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने पर मा० कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-13.36

मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

बिन्दु संख्या- 13.36(1)

कार्यपरिषद् की 12वीं बैठक में रखे गये एजेण्डा बिन्दु संख्या-12.04ए-1(3) में "शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु सीधी भर्ती हेतु प्रथम विनियमावली 2018 में कोई व्यवस्था नहीं है। अतः शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु 11.12-3 (3) में एक अतिरिक्त बिन्दु जोड़े जाने के प्रस्ताव पर हुए विनिश्चय "विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उच्च शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विश्वविद्यालय व कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में शिक्षणेत्तर पदों पर चयन हेतु निर्धारित व्यवस्थाओं का परीक्षण कर व्यवस्था निर्धारित करते हुए सुविचारित प्रस्ताव पुनः आगामी कार्यपरिषद् में विचारार्थ रखे जाने के निर्णय"(संलग्नक-1) के क्रम में।

विनिश्चय-

प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर संवर्ग के पदों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियानुसार सीधी भर्ती का अधिकार राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों यथा-दून विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय आदि में प्राविधानित व्यवस्थानुसार वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को दिये जाने पर विनियमावली में इस आशय की नयी धारा जोड़े जाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव तैयार कर उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

ML  
.. 22/3

*(Handwritten signatures and initials)*

बिन्दु संख्या- 13.36(2)

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हेतु सृजित पदों के ढांचे में वैयक्तिक सहायक संवर्ग का वेतन 5200-20200 ग्रेड पे 2800 है (संलग्न-3) जबकि तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन ही संचालित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज टी0एच0डी0सी0 आई0एच0ई0टी0 नई टिहरी, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी गोपेश्वर व महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून हेतु सृजित वैयक्तिक सहायक के पद का वेतन 9300-34800 ग्रेड पे 4200 है। एक ही विभाग के अन्तर्गत संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में वैयक्तिक सहायक संवर्ग के सृजित पद के वेतनमान में भिन्नता होने के कारण वेतन विसंगति के सम्बन्ध में।

विनिश्चय-

बैठक में मा0 कार्यपरिषद् द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज टी0एच0डी0सी0 आई0एच0ई0टी0 नई टिहरी, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी गोपेश्वर व महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून हेतु सृजित वैयक्तिक सहायक के पद के वेतनमान तथा विश्वविद्यालय में वैयक्तिक सहायक संवर्ग के सृजित पद के वेतनमान में भिन्नता होने के कारण वेतन विसंगति सम्बन्धी प्रकरण पर एकरूपता लाने हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-13.36(3) -

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान द्वारा अपात्र (Uneligible) अभ्यर्थी को बी0फार्म0 में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या- 208/2018(MS) श्री शुभम कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य के संदर्भ में फार्मैसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की दिनांक 31/01/2022 को सम्पन्न 358<sup>th</sup> EC में लिये गये निर्णयों अनुसार विश्वविद्यालय को ई-मेल पत्र दिनांकित 04 मार्च, 2022 द्वारा अनर्ह अभ्यर्थी को बी0फार्म0 पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही किये जाने का निर्णय मा0 कार्यपरिषद् द्वारा लिया गया:-

1. भविष्य में उक्त की पुनर्रवृत्ति न होने हेतु संस्थान पर रू0 5.00 लाख का अर्थदंड लगाया जायें।
2. अर्थदंड के रूप में वसूल की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित में तथा छात्रों हेतु डिजीटल लाईब्रेरी की स्थापना एवं सुदृढिकरण के लिए किया जायेगा।
3. संस्थान को भविष्य में उक्त की पुनर्रवृत्ति न किये जाने के सम्बन्ध में चेतावनी पत्र भी निर्गत किया जायें।

मा0 कार्यपरिषद् द्वारा प्रकरण पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-13.36(4) -

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्तावों को शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए मान्य किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यपरिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
















AL  
..27/3

## विनिश्चय-

बैठक में अस्थाई सम्बद्धता कार्यवाही में विगत काफी समय से चल रहे विलम्ब के प्रकरण पर विस्तृत चर्चा हुई। मा10 कार्यपरिषद् द्वारा वर्तमान सत्र संचालन व सम्बद्धता की परिस्थितियों के दृष्टिगत छात्र हित में निम्न शर्तों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों के शैक्षिक सत्र 2022-23 के अस्थाई सम्बद्धता प्रस्तावों पर की जा रही निरीक्षण कार्यवाही को शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु भी मान्य किये जाने तथा तदनुसार आवश्यक अन्य कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया:-

1. संस्थानों को नियामक परिषद्/संस्था से शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु स्वीकृति/मान्यता प्राप्त होने उपरान्त ही संस्थानों के शैक्षिक सत्र 2022-23 के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव को शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु मान्य किया जायेगा।
2. उक्त व्यवस्था ऐसे संस्थानों के लिए लागू होगी जिनके शैक्षिक सत्र 2022-23 में स्वीकृत सीटों व पाठ्यक्रमों में सम्बन्धित नियामक संस्था द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु निर्गत स्वीकृति/मान्यता में किसी प्रकार का परिवर्तन/वृद्धि आदि न किया गया हो।
3. नियामक परिषद्/संस्था द्वारा संस्थान के शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु निर्गत स्वीकृत/मान्यता में पूर्व (शैक्षिक सत्र 2022-23 में) स्वीकृत सीटों व पाठ्यक्रमों में वृद्धि/कमी की जाती है तो उस दशा में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान का भौतिक/स्थलीय निरीक्षण कराया जायेगा एवं तदुपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।
4. यह व्यवस्था मात्र शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु लागू होगी।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार किसी भी शैक्षणिक सत्र में औचक निरीक्षण कराया जायेगा।

अंत में अध्यक्ष महोदय तथा सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यपरिषद् की बैठक सम्पन्न हुई।

 (प्रो० सत्येन्द्र सिंह) पदेन सचिव	 (प्रो० संजीव नैथानी) सदस्य	 (प्रो० शरद कुमार प्रधान) सदस्य	 (डॉ० डी०पी० गौरा) सदस्य
 (मीना तिवारी) सदस्य	 (प्रो० दुर्योधन पंत) सदस्य	 (पंकज कुमार गुप्ता) सदस्य	 (किरण भट्ट) सदस्य
 (दीप्ती मिश्रा) सदस्य	 (अरविंद सिंह पांगती) सदस्य	 (आर०के० श्रीवास्तव) सदस्य	 (प्रकाश तिवारी) सदस्य
 (डॉ० अलकनन्दा अशोक) सदस्य		 (प्रो० प्रदीप कुमार) सदस्य	
 (प्रो० आंकार सिंह) अध्यक्ष			





# वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

“विद्या परिषद्” की दिनांक 20 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक का  
कार्यवृत्त।

**Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University**

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)

✓



वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की "विद्या परिषद्" की दिनांक 16 मार्च, 2023 को सम्पन्न हुई 14वीं बैठक का कार्यवृत्त।

वीर माधों सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की विद्या परिषद् की 14वीं बैठक दिनांक 20 मार्च, 2023 को अपरान्ह 3:00 बजे विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में मा० कुलपति महोदय, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि० की अध्यक्षता में आहूत हुई। उक्त बैठक में निम्न मा० सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 01 प्रो० ओंकार सिंह, कुलपति, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०, देहरादून                   | अध्यक्ष              |
| 02 प्रो० बी०के० सिंह, निदेशक, बी०आई०ए०एस०, भीमताल, नैनीताल                     | सदस्य                |
| 03 डॉ० के०के०एस० मेर, निदेशक, बी०टी०के०आई०टी, द्वाराहाट                        | सदस्य                |
| 04 प्रो० अलकनन्दा अशोक, डीन, कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पंतनगर                       | सदस्य                |
| 05 प्रो० वॉय० सिंह, निदेशक, जी०बी०पी०आई०ई०टी०, पौड़ी, गढ़वाल                   | सदस्य                |
| 06 प्रो० आर०पी०एस० गंगवार, निदेशक, महिला प्रौ० संस्थान, देहरादून               | सदस्य                |
| 07 डॉ० पी०के० चौधरी, निदेशक, जेबीआईटी, देहरादून                                | सदस्य                |
| 08 डॉ० प्रहलाद सिंह, निदेशक, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजी०, देहरादून                  | सदस्य                |
| 09 डॉ० अनिरुद्ध गुप्ता, प्रोफेसर, बी०टी०के०आई०टी०, द्वाराहाट                   | आमंत्रित सदस्य       |
| 10 श्री विक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०              | आमंत्रित सदस्य       |
| 11 डॉ० वी०के० पटेल, परीक्षा नियंत्रक, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०                    | आमंत्रित सदस्य       |
| 12 श्री सुनील कुमार, स्टॉफ ऑफिसर, कुलपति, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०                | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 13 डॉ० विशाल रमोला, विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि० | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 14 डॉ० यूसरा अहमद, विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ फार्मसी, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०     | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 15 प्रो० सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०, देहरादून             | सदस्य सचिव           |

सर्वप्रथम मा० कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया एवं विश्वविद्यालय द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षण कार्यों के संचालन हेतु किये जा रहे प्रयासों व सभी हितधारकों के सहयोग की अपेक्षा की गई। तदुपरान्त बैठक में माननीय सदस्यों के समक्ष चर्चा/अनुमोदन हेतु ऐजेण्डा बिन्दु प्रस्तुत किये गये:-

बिन्दु सं०-14.01

(क) विद्या परिषद् की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

(ख) विद्या परिषद् की 13वीं आकस्मिक बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

विनिश्चय:- बैठक में सर्वसम्मति द्वारा विद्या परिषद् की 12वीं तथा 13वीं आकस्मिक बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-14.02

विद्या परिषद् की दिनांक 02-09-2022 एवं 30-12-2022 को संपन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना।

विनिश्चय:- परिषद् के सम्मानित सदस्यों द्वारा दिनांक 02/09/2022 एवं 30/12/2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में पूर्ण हो चुकी कार्यवाहियों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही गतिमान है, उन पर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं0-14.03-

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश एवं शैक्षणिक गतिविधियों की सूचना।

विनिश्चय:-

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून से सम्बद्ध समस्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पूर्णतया ऑनलाईन डिजीटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 से विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली (University Management System) लागू किये जाने तथा UMS के अन्तर्गत जिन ऑनलाईन कार्यों का पूर्णतः सम्पादन किया गया है के सम्बन्ध में अवगत होते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत जिन कार्यों पर कार्यवाही गतिमान है के सम्बन्ध में मा0 परिषद् द्वारा शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी। साथ ही सदस्यों द्वारा आगामी परीक्षाओं हेतु बनाये जाने वाले प्रश्नपत्रों में प्रश्नों के CO (Course Outcome) भी दर्शाये जाने की अपेक्षा की गई, जिसे संस्थानों द्वारा अपने स्तर से Outcome assessment के लिए किया जा सकेगा।

बिन्दु सं0-14.04-

नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ में संचालित बी0टैक0 पाठ्यक्रमों को 2022-23 में एआईसीटीई की मान्यता प्राप्त न होने के कारण राज्य सरकार की अपेक्षानुसार विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान के रूप में वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु छात्रों को प्रथम वर्ष में प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही की सूचना मा0 सदस्यों के अवगतनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय-

राज्य सरकार के पत्र संख्या 1216/XLI-A/2022-30/2018 दिनांक 22 अक्टूबर, 2022 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ में संचालित बी0टैक0 पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 में एआईसीटीई की मान्यता न मिलने के कारण उक्त संस्थान को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान के रूप में संचालित मानते हुए वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रथम वर्ष में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी निर्णय पर परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-14.05-

विद्या परिषद् के प्रस्ताव पर कार्यपरिषद् के निर्णय दिनांक 08-09-2022 के द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव में विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी शर्तों के हटाने के क्रम में राज्य सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-2130/वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि./2022 दिनांक 21-10-2022 के माध्यम से उक्त संस्थानों को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों के रूप में संचालित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव-

बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के निर्णय दिनांक 08-09-2022 के अनुपालन में प्रेषित प्रस्ताव पत्र संख्या कैम्प मैमों/वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0/2022 दिनांक 08/09/2022 में विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी शर्तों के हटाने के राज्य सरकार के निर्देश पत्र संख्या 1144/XLI-A/2022-65/2022 दिनांक 10/10/2022 के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-2130/वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि./2022 दिनांक 21-10-2022 के माध्यम से निम्नानुसार 05 संस्थानों को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों के रूप में संचालित करने का राज्य सरकार को प्रेषित पुनरीक्षित प्रस्ताव अनुमोदित।

1. प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर;

2. महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून;
3. डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर;
4. नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़;
5. टी.एच.डी.सी.-आई.एच.ई.टी. नई टिहरी;

बिन्दु सं०-14.06-

विश्वविद्यालय में पूर्णतया स्ववित्त पोषित आधार पर बी०टेक० साइबर सुरक्षा (B.Tech- Cyber Security) एवं बी०टैक० कम्प्यूटर साइंस (B.Tech- Computer Science) व पी०जी० डिप्लोमा इन साइबर सिक्युरिटी पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

1. बैठक में चर्चा हुई। बी०टैक० साइबर सिक्युरिटी पाठ्यक्रम संचालन हेतु यू०जी०सी०, नई दिल्ली द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों तथा विश्वविद्यालय की दिनांक 18 जनवरी, 2023 को Round Table Conference में की गयी चर्चा/ विचार-विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से बी०टेक० साइबर सुरक्षा (60 क्षमता), पी०जी० डिप्लोमा इन साइबर सिक्युरिटी (60 क्षमता) व बी०टैक० कम्प्यूटर साइंस (60 क्षमता) पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने हेतु एवं समस्त वांछित कार्यवाही नियमानुसार करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में पी०जी० डिप्लोमा व बी०टैक० साइबर सुरक्षा की प्रथम वर्ष की पाठ्यचर्या भी अनुमोदित की गई।

बिन्दु सं०-14.07-

विश्वविद्यालय के Vision and mission, Code of conduct को प्रभावी करना।

विनिश्चय:-

विश्वविद्यालय द्वारा प्रभावी किये गये Vision and mission, Code of conduct पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-14.08-

विश्वविद्यालय के IT Regulation को प्रभावी करना।

विनिश्चय:-

विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी किये गये IT Regulation पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-14.09-

विश्वविद्यालय के Training & Placement की नीति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार किये गये Training & Placement की नीति (Training & Placement Policy) परिषद द्वारा अनुमोदित की गई।

*(Signature)*

*(Signature)*

बिन्दु सं०-14.10-

शोध सह शिक्षण फेलोशिप योजना (Research cum Teaching fellowship Scheme) को विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने हेतु अनुमोदन।

विनिश्चय:-

विश्वविद्यालय में शोध कार्यो को गतिमान करने हेतु -शोध सह शिक्षण फेलोशिप योजना (Research cum Teaching fellowship Scheme) विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव तथा प्रस्तुत योजना जिसमें रू० 20000/- प्रतिमाह की छात्रवृत्ति सामान्यतः 03 वर्ष व अधिकतम 04 वर्ष तथा रू० 30000/- प्रतिवर्ष की Contingency अधिकतम 03 साल दिये जाने का प्राविधान किया गया है, को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं०-14.11-

पी०एच०डी० डिग्री प्राप्त करने वाले शोधार्थियों के लिए विश्वविद्यालय में जरनल प्रकाशन के संबंध में मा० सदस्यों के साथ चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय में संचालित इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फॉर्मेसी, होटल मैनेजमेंट, तथा लॉ की विधाओं में पृथक-पृथक जरनल्स प्रकाशित किये जाने तथा जरनल्स को निम्नानुसार नामांकित करते हुए विधिसम्बन्धित कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रथमचरण के ऑनलाइन जरनल प्रकाशन हेतु पंजीकरण कराने तथा इन्हें वर्ष में दो बार प्रकाशन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित:-

- 1-ट्रांसनेशनल जरनल ऑफ इंजीनियरिंग
- 2-ट्रांसनेशनल जरनल ऑफ मैनेजमेंट
- 3-ट्रांसनेशनल जरनल ऑफ फॉर्मेसी एंड एलाईड साइंस
- 4-ट्रांसनेशनल जरनल ऑफ होटल मैनेजमेंट
- 5-ट्रांसनेशनल जरनल ऑफ लॉ

बिन्दु सं०-14.12-

विश्वविद्यालय में स्नातक तथा परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रोजेक्ट/डिजर्टेशन में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

विनिश्चय:-

परिषद् द्वारा विचारोपरान्त सम्बद्ध संस्थानों में अध्ययनरत स्नातक/परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रोजेक्ट/डिजर्टेशन कार्यो हेतु रू० 5000/- प्रति प्रोजेक्ट/डिजर्टेशन की अधिकतम वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय स्तर पर पूर्व निर्धारित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के उपयुक्त पाये जाने पर दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं अपेक्षा की गई कि आगामी वित्त समिति से उक्त के सम्बन्ध में वित्तीय प्राविधान कराये जाये।

बिन्दु संख्या:-14.13

विश्वविद्यालय में संचालित पी०एच०डी० कोर्स हेतु रिसर्च मैथोडॉलोजी की पठन-पाठन एवं परीक्षा एन०पी०टी०ई०एल०/स्वयंम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रमाण-पत्र को विश्वविद्यालय में मान्यता दिये जाने संबंधी चर्चा एवं अनुमोदन।

**विनिश्चय:-**

विद्या परिषद् द्वारा पी0एच0डी0 कोर्स में रिसर्च मैथोडॉलोजी के पठन-पाठन एवं परीक्षा एन0पी0टी0ई0एल0/स्वयंम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम 08 Week की अवधि अथवा अधिक से प्राप्त प्रमाण-पत्र को विश्वविद्यालय में मान्यता दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। परिषद् द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि Entrepreneurship एवं IPR विषय पर विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 01 कार्यशाला आयोजित करायी जायें।

**बिन्दु संख्या:-14.14**

आई0एम0ए0, देहरादून तथा विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित शैक्षणिक एम0ओ0यू0 के माध्यम से पी0जी0 डिप्लोमा के सम्बन्ध में चर्चा एवं अनुमोदन

**विनिश्चय:-**

आई0एम0ए0, देहरादून के सभी Graduate Gentlemen Cadets जो आई0एम0ए0, देहरादून में द्वितीय एवं तृतीय अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, हेतु PG Diploma in Military Studies and Defence Management पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित एम0ओ0यू0 अनुमोदित।

**बिन्दु संख्या:-14.15**

विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में चर्चा एवं अनुमोदन।

**विनिश्चय:-**

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ निष्पादित किये गये ए0ओ0यू0 तथा प्रस्तावित एम0ओ0यू0 को आवश्यकतानुसार निष्पादित करने के प्रस्ताव (सलंगनक:-1) पर विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

**बिन्दु संख्या:-14.16**

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रवेश प्रक्रिया पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन।

**विनिश्चय:-**

दिनांक 16 मार्च, 2023 को सम्पन्न विश्वविद्यालय की प्रथम प्रवेश समिति की बैठक में शैक्षणिक सत्र 2023-24 की प्रवेश प्रक्रिया हेतु लिये गये निर्णयों (सलंगनक:-2) पर परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

**बिन्दु संख्या:-14.17**

विश्वविद्यालय में पूर्ण हुई पी0एच0डी0 की सूचना विद्या परिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 तक पूर्ण हुई पी0एच0डी0 पर अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुमोदित पी0एच0डी0 की सूची सलंगनक-3 पर उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या:-14.18

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सत्र 2021-22 में उत्तीर्ण छात्रों का विवरण विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-विभिन्न पाठ्यक्रमों में निम्नानुसार यथा- बी०टैक०, बी०एच०एम०सी०टी०, बी०फार्म०, एम०बी०ए०, एम०सी०ए०, एम०टैक, एम०बी०ए०(इंटीग्रेटेड) में शैक्षिक सत्र 2021-22 में उत्तीर्ण 3799 (तीन हजार सात सौ न्यानबै) छात्रों तथा एल०एल०बी०, बी०ए०एल०एल०बी०, बी०बी०ए०एल०एल०बी० एल०एल०एम० पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में उत्तीर्ण 575 (पाँच सौ पिचहत्तर) छात्रों को आगामी दीक्षांत समारोह में उपाधियां वितरित किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित। सलग्नक-4

SI No.	Programme	No. of Pass Students (Session 2021-22)
1	B.Tech	2342
2	BHMCT	146
3	B.Pharm	465
4	MBA	772
5	MCA	28
6	M.Tech	36
7	MBA (Integrated)	21
<b>Total</b>		<b>3799</b>
SI No.	Programme	No. of Pass Students (Session 2021-22)
1	LLB	225
2	BALLB	49
3	BBALLB	14
4	LLM	287
<b>Total</b>		<b>575</b>

बिन्दु संख्या:-14.19

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों यथा-बी०टैक० (CSE, ME, AI&ML, Civil, Biotechnology, Chemical, Plastic & Polymer, Manufacturing Engg., EE, EEE, Cyber Security, ECE, E & T), बी०फार्म०, बी०ए०एल०एल०बी०, बी०बी०ए०एल०एल०बी०, एल०एल०बी०, बी०एच०एम०सी०टी०, एम०टैक०, एम०बी०ए० (MAB(PT), MBA(Regular), MBA(Integrated), एम०सी०ए०, एम०फार्म०, फार्म०डी०, पी०जी० डिप्लोमा इन साइबर सिक्युरिटी\* के प्रथम वर्ष से आगे तैयार किये गये Syllabus विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

1. विश्वविद्यालय की विभिन्न बी०ओ०एस० के स्तर से तैयार प्रथम वर्ष से आगे के सभी Syllabus अनुमोदित।
2. बी०टैक० मेजर के साथ माइनर (स्पेशलाइजेशन) सलग्नक-5 के अनुसार एवं उपरोक्तानुसार इंगित पाठ्यक्रमों के तैयार किये द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के सिलैबस अनुमोदित।
3. पी०जी० डिप्लोमा इन साइबर सिक्युरिटी इंडस्ट्री की नवीनतम आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम व्यवस्था के साथ अनुमोदित।
4. शैक्षिक सत्र 2021-22 में संचालित माइनर की सूची में वेबसाईट पर प्रदर्शित बी०टैक० इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग के स्थान पर बी०टैक० इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या:-14.20

विश्वविद्यालय में यू0जी0सी0 द्वारा दिये गये दिशा/निर्देशो अनुसार शैक्षणिक कार्मिकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

बैठक में चर्चा उपरान्त यू0जी0सी0, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालयों में **Adjunct Faculty, Distinguished Visiting Faculty, Professor of Practice, Guest Faculty** की व्यवस्था हेतु निर्गत दिशा/निर्देश अनुसार विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित।

बिन्दु सं0-14.21

विश्वविद्यालय में पूर्णतया स्ववित्त पोषित आधार पर बी0फार्मेसी (60 प्रवेश क्षमता) नवीन पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने एवं एम0फार्म0 में क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय-

1. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के मानकानुसार विश्वविद्यालय में नवीन बी0फार्मेसी (60 सीट) पाठ्यक्रम संचालित किये जाने तथा विश्वविद्यालय के एम0फार्म0 पाठ्यक्रम-फार्माकोलॉजी में 03 से 15 सीट क्षमता में वृद्धि किये जाने हेतु चर्चा उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस हेतु समस्त वांछित कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई ताकि इन पाठ्यक्रमों का सुचारु संचालन हो सके।
2. नवीन बी0फार्मेसी (60 सीट) पाठ्यक्रम की प्रस्तुत पाठ्यचर्या अनुमोदित।

बिन्दु सं0-14.22

विश्वविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

विश्वविद्यालय में आवश्यकता के दृष्टिगत **Academic Block, Hostel (100 Bed), Guest House, Central Library, Indoor Stadium, Officers/Staff Residential quarter** सम्बन्धी निर्माण कार्य कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने पर सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-14.23

विश्वविद्यालय में एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम में शिक्षकों को आउटसोर्स के आधार पर रखे जाने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय:-

1. ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि हेतु जारी दिशा/निर्देशों तथा वर्तमान में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार आउटसोर्स व्यवस्था के अन्तर्गत उपनल अथवा अन्य आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से यथा प्रभावी शासनादेशों के अन्तर्गत शिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाने हेतु अनुमोदित।
2. साथ ही विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की आवश्यकता अध्यापन भार के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से पूर्ण किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।



बिन्दु सं०-14.24

फैकल्टी ऑफ फार्मसी, विभाग में शिक्षकों को आउटसोर्स के आधार पर रखे जाने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय:-

फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि हेतु जारी दिशा/निर्देशों अनुसार शिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाने हेतु अनुमोदित।

बिन्दु सं०-14.25

छात्र/छात्राओं को उपाधियां संस्कृत भाषा में प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

परिषद् द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगामी दीक्षांत समारोह से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को उपाधियां हिन्दी, अंग्रेजी के साथ संस्कृत भाषा में भी मुद्रित कराते हुए दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-14.26 अन्य बिन्दु मा० कुलपति महोदय की अनुमति से।

बिन्दु सं०-14.26 (1) :- विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान जी०बी०पी०आई०ई०टी०, पौड़ी, गढ़वाल की शैक्षिक सत्र 2021-22 की विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रथम वर्ष की परीक्षाओं के परीक्षाफल विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

जी०बी०पी०आई०ई०टी०, पौड़ी संस्थान में शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्रवेशित विभिन्न स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों के परीक्षाफल ग्रेडिंग आधारित मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर Absolute Marks आधारित ग्रेडिंग के आधार पर तैयार किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। परिषद् द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि संस्थान जी०बी०पी०आई०ई०टी०, घुड़दौड़ी, पौड़ी, गढ़वाल में संस्थान की विद्या परिषद् वर्तमान में प्रभावी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के मानकानुसार गठित की जायें।

बिन्दु सं०-14.26 (2) :- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एम०टैक० पाठ्यक्रम की कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग शाखा में बैच 2019-21 के अध्ययनरत छात्र हेमंत भास्कर एवं पॉवर सिस्टम एण्ड इंजीनियरिंग शाखा में बैच 2019-21 के अध्ययनरत छात्र निशांत मनराल को तीन वर्ष माह अगस्त, 2022 में पूर्ण होने के कारण चतुर्थ सेमेस्टर में अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय:-

चर्चा हुई। विश्वविद्यालय में एम०टैक० पाठ्यक्रम के (बैच 2019-21) छात्रों 1. हेमंत भास्कर 2. निशांत मनराल के अनुरोध पर एम०टैक० पाठ्यक्रम की समय सीमा को 03 वर्ष से 04 वर्ष बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय आर्डिनेन्स में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

अंत में सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(प्रो० सत्येन्द्र सिंह)  
कुलसचिव

(प्रो० ओंकार सिंह)  
कुलपति


**बीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की दिनांक 21.09.2022 को सम्पन्न हुई परीक्षा समिति की 31 वीं बैठक का कार्यवृत्त।** (3)

**बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-**



1.	प्रो० ओंकार सिंह, कुलपति, वी०मा०सि० भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून	अध्यक्ष
2.	डॉ० कुसुम अरुणाचलम, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, दून विश्वविद्यालय देहरादून	सदस्य
3.	डॉ० डी०एस० मूर्ति, प्रोफेसर, कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जी०बी०पी०ई०सी०, पन्तनगर	सदस्य
4.	डॉ० एस० नैथानी, ई०सी०ई०, जी०बी०पी०ई०सी०, पौड़ी	सदस्य
5.	डॉ० वी०के० चटेल, एम०ई० जी०बी०पी०ई०सी०, पौड़ी	सदस्य
6.	डॉ० अनिरुद्ध गुप्ता, प्रोफेसर, एम०ई०, बी०टी०के०आई०टी, द्वाराहाट, अल्मोड़ा	सदस्य
7.	डॉ० अजीत सिंह, प्रोफेसर, सी०एस०ई०, बी०टी०के०आई०टी, द्वाराहाट, अल्मोड़ा	सदस्य
8.	श्री आर०पी० गुप्ता, कुलसचिव, वी०मा०सि०भ०, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	श्री वी० एस० जन्तवाल, वित्त नियंत्रक, वी०मा०सि० भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	श्री पी०के० अरोड़ा, परीक्षा नियंत्रक, वी०मा०सि० भ०, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व मा०कुलपति महोदय/अध्यक्ष परीक्षा समिति द्वारा समिति के सभी सदस्यों एवं आमंत्रितों के सत्र 2022-23 की प्रथम परीक्षा समिति की बैठक में स्वागत किया गया, जिसके उपरान्त बैठक प्रारम्भ की गयी।

एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	परीक्षा समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	परीक्षा समिति का निर्णय (विनिश्चय)
बिन्दु संख्या 01(क)	परीक्षा समिति की 29 एवं 30 वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।		परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा समिति की 29 एवं 30 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
बिन्दु संख्या 01(ख)	परीक्षा समिति की 29 एवं 30 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही सूचना।		परीक्षा समिति द्वारा 29 एवं 30 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर संतोष प्रकट किया गया।
बिन्दु संख्या-31--02	सत्र 2021-22 के परीक्षाफल की घोषणा किये जाने की सूचना।	सत्र 2021-22 के सम सेमेस्टर के परीक्षायें दिनांक 15.06.2022 से 05.08.2022 तक सम्पन्न की गयी थी, जिसमें बी०टेक समस्त ब्रान्च, एम०टैक समस्त ब्रान्च, बी० फार्मा०, एम० फार्मा० समस्त ब्रान्च, एम०बी०ए०, एम०बी०ए० इन्टीग्रेटेड, एम०सी०ए०, एल०एल०बी०, एल०एल०एम०, बी०ए०एल०एल०बी०ए० बी०बी०ए० एल०एल०बी०, बी०एच०एम०सी०टी०, फार्मा०डी०, बी०आर्क, बी०के०आई०टी० द्वाराहाट में बी०टैक समस्त ब्रान्च, एम०टैक०, एम०सी०ए० के समस्त परीक्षाफल घोषित किये जा चुके हैं। परीक्षा समिति से अनुरोध है कि प्रस्तुत विवरण से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।	परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तावानुसार परीक्षाफल घोषित किये जाने के कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही निर्णय लिए कि एम०टैक तथा एम०फार्मा० के Dissertation 30 अक्टूबर, 2022 तक पूर्ण कराये जाने हेतु संस्थानों के निर्देश दिये जायें, जिससे उन परीक्षाफल अतिशीघ्र घोषित कि जा सकें। इसी के साथ परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षिक स्वायत्ता के साथ संचालित जी०बी०पी०ई०सी० घुड़दौड़ी, पौड़ी के द्वारा इस संस्थान की परीक्षाओं के रिजल्ट से संबंधित कोई सूचना विश्वविद्यालय को न दिये जाये की स्थिति पर समिति द्वारा असंतोष प्रकट किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया।
बिन्दु संख्या-31--03	सत्र 2021-22 में Pass out छात्रों / छात्राओं के	विगत में विश्वविद्यालय में अन्तिम वर्ष की परीक्षा दे चुके छात्रों हेतु	प्रस्तावानुसार परीक्षा समिति द्वारा Special Back Paper Exam-202

  
 Page 1 of 20

	Special Back Paper Exam पर विचार ।	Special Back Paper Exam समय-समय पर सम्पन्न करायी जाती रही है जिसमें केवल पास आउट छात्र एवं छात्राये जो एक या अधिक विषयों में फेल हुए हो, को एक विशेष मौका देते हुए परीक्षाये सम्पन्न करायी जाती है। सत्र 2021-22 के लिए Special Back Paper Exam का प्रस्ताव न तो परीक्षा समिति में रखा गया और न ही घोषित किया गया है। वर्तमान में लगभग 600 परिक्षार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 2000 विषयों में फेल हुए हैं। अतः इन छात्र-छात्राओं को छात्रहित एक मौका देते हुए Special Back Paper Exam (लगभग दो माह का समय लगने की सम्भावना) आयोजित करने हेतु विचार कर अनुमोदन देने हेतु प्रस्तुत।	को विषम सेमेस्टर परीक्षा 2022-23 के साथ कराये जाने का निर्णय छात्रहित में परीक्षा समिति द्वारा लिया गया।
बिन्दु संख्या--31-04	म सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र के आडिट तथा परीक्षा प्रश्नपत्रों की गुणवत्ता पर चर्चा, मॉडल प्रश्न पत्र प्रस्तुतीकरण पर चर्चा।	विश्वविद्यालय परीक्षाओं के स्तरीय उन्नयन हेतु सत्र 2021-22 के विषम एवं सम सेमेस्टर के सभी पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्रों को संकलित करते हुए विद्यावार/पाठ्यक्रमधार इन प्रश्नपत्रों का आडिट कराने तथा गुणवत्ता संवर्धन के लिए प्रस्ताव हेतु विषय विशेषज्ञों की समिति गठित कर कार्यवाही कराया जाना प्रस्तावित है। विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से प्रश्नपत्र आडिट कराये जाने के उपरान्त सुझावों के आधार पर गुणवत्ता परक मॉडल प्रश्न पत्र बनाकर इसी पैटर्न को प्रभावी करने हेतु आगामी सेमेस्टर परीक्षा से पूर्व छात्रों को उपलब्ध कराये जाना प्रस्तावित है। विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।	परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तावनुसार विषम-सम सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्नपत्रों की विषय विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से आडिट कराये जाने तथा विषम सेमेस्टर के प्रत्येक विषय के मॉडल प्रश्नपत्र बनवाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त Brief of working Manual for Examination in VMSBUTU Dehradun, Request and offer for Question Paper Setting, 100Mark, 75 Marks, 70 Marks, 50 Marks Template of Question Paper के प्रारूपों पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्नक-01)
बिन्दु संख्या-31-05	आगामी परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के निर्माण से पारिश्रमिक में संशोधन की सूचना।	विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के अंग्रेजी में निर्माण हेतु वर्तमान में रू0 1500/- का पारिश्रमिक तय किया गया है, इसमें प्रश्नपत्रों के हल हेतु किसी प्रकार का पारिश्रमिक निर्धारित न होने के कारण अधिकतर हल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त विधि पाठ्यक्रम	परीक्षा समिति द्वारा पारिश्रमिक में संशोधन की कार्यवाही का संज्ञान लेते हुए इस पर संतोष प्रकट किया गया।

		<p>में प्रश्नपत्र के अंग्रेजी अनुवाद के साथ ही हिन्दी अनुवाद भी अनिवार्य है। इसका भी पारिश्रमिक निर्धारित न होने के कारण अधिकतर प्रश्नपत्र निर्माणकर्ता इसे भूगल अनुवाद करते हैं, जिसमें कई विसंगतियां होती हैं। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में इस दिशा में सुधार लाने हेतु प्रत्येक विषय के अंग्रेजी में प्रश्नपत्र निर्माण तथा अंग्रेजी में हल को अनिवार्य करते हुए पारिश्रमिक रू0 2000/- तथा अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भाषा में अनुवाद के लिये रू0 500/- पारिश्रमिक किये जाने का अनुमोदन वित्त सभिति की 19 वीं तथा कार्य परिषद की 12 वीं बैठक में किया जा चुका है। सूचनार्थ प्रस्तुत।</p> <p>UKSSE तथा PHD प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के निर्माण में अतिरिक्त Skill तथा एक ही प्रश्नपत्र में कई खण्डों में निर्माण हेतु अलग-अलग निर्माणकर्ताओं का समावेश होता है। इन प्रश्नपत्रों के निर्माण में प्रति विषय/प्रश्नपत्र का पारिश्रमिक न तय करते हुए बल्कि प्रति प्रश्न रू0 100/- तथा अधिकतम रू0 5000/- का पारिश्रमिक निर्धारित तय करने का अनुमोदन वित्त समिति की 19 वीं बैठक में किया जा चुका है।</p>	
<p>बिन्दु संख्या-31-06</p>	<p>कार्यों को ऑनलाइन करने हेतु ERP, University Management System का मा0 सदस्यों को अवगतानार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>विश्वविद्यालयमें वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन, सम्बद्धता, शैक्षणिक प्रबन्धन, ई गवर्नेन्स, कार्यालयी प्रक्रियाओं की ट्रेकिंग, मा0 न्यायालयों में वाद पर कार्यवाही, वित्तीय प्रबन्धन एवं छात्रों के पंजीकरण, Choice Based /Credit प्रणाली लागू करना, उपस्थिति का संग्रहीकरण, शिक्षकों का Data base, परीक्षा फार्म, परीक्षा केन्द्रों का नियंत्रण, On screen डिजिटल मूल्यांकन, कालेज लॉगइन, छात्र लॉगइन, शिक्षक लॉगइन, विश्वविद्यालय लॉगइन, डिजिटल स्वरूप में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा निर्माण से पूर्व</p>	<p>परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तावानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं व अन्य गतिविधियों के डिजिटलीकरण हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए संतोष प्रकट किया गया।</p>





		<p>संबंधित छात्रों को डिजिटल स्वरूप में अवलोकित कराये जाने की व्यवस्था, Digitally Encrypted स्वरूप में प्रश्नपत्रों का परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषण, ऑनलाइन परीक्षार्थियों की उपस्थिति का संग्रहीकरण, परीक्षाफल निर्माण, परीक्षाफल की घोषणा, छात्रों हेतु Help Desk की सुविधा, ऑनलाइन मार्कशीट, प्रोजेक्शन, डिग्री सर्टिफिकेट, भाइंगेशन, डिग्री प्रिंटिंग जैसी सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक व परीक्षा संबंधी दायित्वों का समग्रता से डिजिटलीकरण करने की नितान्त आवश्यकता है। इसका अनुमोदन वित्त समिति की 19 वीं बैठक तथा कार्य परिषद की 12 वीं बैठक में किया जा चुका है। उक्त सूचनार्थ प्रस्तुत है एवं परीक्षा समिति से अनुरोध है कि आवश्यकतानुसार परीक्षा की तैयारी, परीक्षा कराये जाने तथा परीक्षाफल घोषित करने आदि की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से सम्पन्न कराये जाने हेतु मा० कुलपति महोदय को अधिकृत करने पर विचार कर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।</p>	
बिन् संख्या-31-07	UFM नियमावली पर विचार व अनुमोदन हेतु अवलोकनार्थ प्रस्तुत।	<p>वर्तमान में विश्वविद्यालयमें UFM नियमावली प्रख्यापित नहीं है। जबकि UFM नियमावली के अन्तर्गत दण्ड प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती रही है। अतः अन्य विश्वविद्यालयों से UFM नियमावली संग्रहित करते हुए इस विश्वविद्यालय हेतु UFM नियमावली तैयार कर प्रस्तुत की जा रही है। परीक्षा समिति से अनुरोध है कि प्रस्तुत UFM नियमावली पर विचार कर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।</p>	परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय में UFM नियमावली पर अनुमोदन प्रदान किया गया। (संलग्नक-2)
बिन्दु संख्या-31-08	परीक्षा संचालन हेतु नोडल सेन्टर, परीक्षा केन्द्र निर्धारण, मूल्यांकन केन्द्र निर्धारण, पेपर सेंटर, पर्यवेक्षक का चयन,	<p>विश्वविद्यालयमें परीक्षा संचालन हेतु पूर्व में परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा संचालन हेतु नोडल सेन्टर, परीक्षा केन्द्र निर्धारण, मूल्यांकन केन्द्र निर्धारण, पेपर सेंटर, पर्यवेक्षक का</p>	परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तावनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।




	उडन दस्ते का चयन एवं प्रयोगात्मक परीक्षक का चयन इत्यादि के चयन हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत करने हेतु विचार तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	चयन, उडन दस्ते का चयन एवं प्रयोगात्मक परीक्षक का चयन इत्यादि की कार्यवाही मा0 कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित करायी जाती रही है। इसी परिपेक्ष्य में इस सत्र 2022-23 में सम्पन्न होने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए भी उपरोक्त कार्यवाही हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत करने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	साथ ही परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाने से पूर्व संस्थानों में उचित संसाधनों तथा परीक्षा हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटो कापियर, इण्टरनेट, CCTV कैमरे, सुरक्षा आदि की जाँच कराते हुए तथा यदि आवश्यकता हो तो निरीक्षण करने के पश्चात परीक्षा केन्द्र निर्धारण करने का निर्देश दिया गया।
बिन्दु संख्या-31-09	सत्र 2022-23 हेतु विषम सेमेस्टर की परीक्षाएँ दिनांक 27.12.2022 से प्रारम्भ किये जाने हेतु विचार तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वर्तमान में मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात जारी एकेडमिक कलेण्डर सत्र 2022-23 में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएँ दिनांक 27.12.2022 से प्रारम्भ किया जाना निर्धारित हैं। अतः परीक्षा समिति से अनुरोध है, के कलेण्डर के अनुसार परीक्षाएँ सम्पन्न किये जाने की कार्यवाही पर विचार एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति द्वारा घोषित एकेडमिक कैलेंडर में इंग्रि तिथियों पर अध्ययन हेतु उपलब्ध दिवसों की गणना पुनः करते नियमानुसार कार्यवाही करने अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या-31-10	सत्र 2022-23 हेतु सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ दिनांक 29.05.2023 से प्रारम्भ किये जाने हेतु विचार तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वर्तमान में मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात जारी एकेडमिक कलेण्डर सत्र 2022-23 में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएँ दिनांक 29.05.2023 से प्रारम्भ किया जाना निर्धारित हैं। अतः परीक्षा समिति से अनुरोध है, कि कलेण्डर के अनुसार परीक्षाएँ सम्पन्न किये जाने की कार्यवाही पर विचार एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति द्वारा एकेडमिक कैलेंडर में घोषित तिथियों अध्ययन हेतु उपलब्ध वास्तविक दिवसों का आँकलन करते नियमानुसार परीक्षाएँ कशाने अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या-31-11	आउट छात्र एवं छात्राओं के स्पेशल बैक पेपर परीक्षा हेतु माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भ कराये जाने पर विचार एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय में पूर्व की भाँति सत्र 2022-23 हेतु पास आउट छात्र एवं छात्राओं के स्पेशल बैक पेपर परीक्षा माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भ कराये जाने पर विचारार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति के स परीक्षा समिति की आगामी बैठक इस प्रस्ताव को रखने अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या-31-12	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद	-	-

अन्त में परीक्षा समिति की 31 वीं बैठक अध्यक्ष महोदय व सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के सम्पन्न हुईं।

  
(परीक्षा नियंत्रक)  
सदस्य

  
(मा0 कुलपति)  
अध्यक्ष



Page 5 of 9



# वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून



(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)  
**VEER MADHO SINGH BHANDARI UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY, DEHRADUN**  
(Formerly Uttarakhand Technical University Established By Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)  
Chakrata Road P.O. Chandanwadi, Premnagar suddholwal, Dehradun, Uttarakhand (India)  
Tel. No. 0135-2774067 Website: [www.uktech.ac.in](http://www.uktech.ac.in)

पत्रांक: 1907 / परीक्षा समिति / यूटीयू / 2022

दिनांक: 27 सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सादर संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. परीक्षा समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को सूचनार्थ।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड हेतु।

  
(परीक्षा नियंत्रक)  
सदस्य  




बीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की सम्पन्न हुई परीक्षा समिति की 32 वीं ऑनलाइन बैठक दिनांक 16.11.2022 का कार्यवृत्त।

(8)

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1	प्रो० ओंकार सिंह, कुलपति, वी०मा०सि० भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून	अध्यक्ष
2	डॉ० कुरुम अरुणाचलम, प्रोफेसर एव विभागाध्यक्ष, दून विश्वविद्यालय देहरादून	सदस्य
3	डॉ० डी०एस० मूर्ति, प्रोफेसर, कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जी०बी०पी०यू०ए०टी०, पन्तनगर	सदस्य (ऑनलाइन)
4	डॉ० एस० नैथानी, ई०सी०ई०, जी०बी०पी०ई०सी०, पौड़ी	सदस्य (ऑनलाइन)
5	डॉ० वी०के० पटेल, एम०ई० जी०बी०पी०ई०सी०, पौड़ी	सदस्य (ऑनलाइन)
6	डॉ० अनिरुद्ध गुप्ता, प्रोफेसर, एम०ई०, बी०टी०के०आई०टी, द्वाराहाट, अल्मोडा	सदस्य (ऑनलाइन)
7	डॉ० अजीत सिंह, प्रोफेसर, सी०एस०ई०, बी०टी०के०आई०टी, द्वाराहाट, अल्मोडा	विशेष आमंत्रित सदस्य
8	श्री आर०पी० गुप्ता, कुलसचिव, वी०मा०सि० भ०, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
9	श्री वी० एस० जन्तवाल, वित्त नियंत्रक, वी०मा०सि० भ०, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य
10	श्री पी०के० अरोड़ा, परीक्षा नियंत्रक, वी०मा०सि० भ०, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व मा०कुलपति महोदय/अध्यक्ष परीक्षा समिति द्वारा समिति के सभी सदस्यों एवं आमंत्रितों का सत्र 2022-23 की द्वितीय परीक्षा समिति की बैठक में स्वागत किया गया, जिसके उपरान्त बैठक प्रारम्भ की गयी।

(क). परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा समिति की 31 वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि/अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	निर्णय (विनिश्चय)
बिन्दु 32-02	सत्र 2022-23 के हेतु पी०एच०डी० प्रवेश परीक्षा कराये जाने हेतु विचार।	बैठक में परीक्षा समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रस्तुत प्रस्तावनुसार (संलग्नक-1) पी०एच०डी० प्रवेश परीक्षा सम्पन्न कराये जाने पर चर्चा करते हुए परीक्षा शीघ्र आयोजित कराने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु 32-03	सत्र 2021-22 एवं 2021-22 के परीक्षाफल (रेगुलर एवं बैक पेपर) में संशोधन के तहत दिनांक 20.10.2022 को देहरादून, हरिद्वार, रुड़की आदि समस्त गढ़वाल मण्डल तथा दिनांक 28.10.2022 को पिथौरागढ़, काशीपुर, हल्द्वानी आदि समस्त कुमायु मण्डल को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी संस्थानों के निदेशकों को बुलाया गया था जिनसे उनके संस्थान में उपरोक्त सत्र के रिजल्ट में यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो साक्ष्यों के साथ स्वयं प्रस्तुत करें। उक्त के संबंध में सभी का निराकरण किये जाने की कार्यवाही की सूचना।	परीक्षक नियंत्रक द्वारा संबंधित प्रकरण पर अवगत कराया गया कि सत्र 2021-22 एवं 2021-22 के परीक्षाफल (रेगुलर एवं बैक पेपर) में संशोधन के उपरान्त परीक्षाफल संस्थानों को प्रेषित किये जा चुके हैं। तदोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा संशोधन परीक्षाफल संस्थानों प्रेषित किये जाने पर सन्तोष प्रकट किया गया।
बिन्दु 31-04	एस०आई०टी, पिथौरागढ़ एवं डी०बी०आई०टी० देहरादून के दो छात्रों को अंकतालिका निर्गत किये जाने पर विचार। 1. सादर अवगत कराना है कि दौयी ओर सलग्न नन्ही परी सीमान्त अभियान्त्रिक संस्थान, पिथौरागढ़ के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि बी०टी०के० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र कमलेश सिंह रावत का पंजीकरण सत्र 2017-18 में हुआ था। छात्र अस्वस्थ होने के कारण 2018-2019 में चतुर्थ सेमेस्टर में पंजीकरण नहीं करा पाया। छात्र द्वारा स्वरथ होने के उपरान्त सत्र 2019-2020 में चतुर्थ सेमेस्टर में पंजीकरण कराया गया। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2019-2020 में पाठ्यक्रम परिवर्तित कर दिया गया। छात्र द्वारा तृतीय सेमेस्टर पूर्व	परीक्षा समिति द्वारा संबंधित प्रकरणों पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया है कि संबंधित छात्रों के मार्कसीट निर्गत कराये जाने हेतु एक कमेटी गठित की जाय, तथा बी०के०के०आई०टी० द्वाराहाट संस्थान के संबंधित प्रकरणों को भी शामिल करते हुए इसी कमेटी के माध्यम से गिरतारण किये जाने का निर्णय लिया गया। संबंधित प्रकरणों के निर्णय/अनुमोदन हेतु परीक्षा समिति द्वारा मा० कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। इस हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया गया है:-



पाठ्यक्रम (Old Syallbus) एवं चतुर्थ सेमेस्टर नवीन पाठ्यक्रम (New Syallbus) से उत्तीर्ण किया गया। पाठ्यक्रमों में भिन्नता होने के कारण द्वितीय वर्ष की अंकतालिका नहीं मिल पायी। संस्थान द्वारा द्वितीय वर्ष की अंकतालिका उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. सादर अवगत कराना है कि दौयी और सलंगन देव भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी संस्थान, देहरादून के पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि बी०टैक०पाठ्यक्रम में पास आउट छात्र सचिन कुमार, रौ०न०-170080101076 ब्रान्च कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग का सत्र 2017-21 का था। छात्र दुर्घटना के कारण 2018-2019 में द्वितीय वर्ष में पंजीकरण नहीं करा पाया। छात्र द्वारा स्वस्थ होने के उपरान्त सत्र 2019-2020 में द्वितीय वर्ष में पंजीकरण कराया गया। लेकिन वि विविद्यालय द्वारा सत्र 2019-2020 में पाठ्यक्रम परिवर्तित कर दिया गया। छात्र द्वारा प्रथम वर्ष पूर्व पाठ्यक्रम (Old Syallbus) एवं द्वितीय वर्ष नवीन पाठ्यक्रम (New Syallbus) से उत्तीर्ण किया गया। पाठ्यक्रमों में भिन्नता होने के कारण अन्तिम वर्ष की अंकतालिका नहीं मिल पायी। संस्थान द्वारा अन्तिम वर्ष की अंकतालिका उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

1. डॉ० एस० नेथानी, ई०सी०ई०, निदेशक, आई०टी० गोपेश्वर - सरोजक
  2. डॉ० वी०के० पटेल, एम०ई० जी०वी०पी०ई०सी०, पौडी - सदस्य
  3. डॉ० अजीत सिंह, प्रोफेसर, सी०एस०ई०, वी०टी०के०आई०टी०, द्वाराहाट, अल्मोडा - सदस्य
  4. डॉ० अनिरुद्ध गुप्ता, प्रोफेसर, एम०ई०, वी०टी०के०आई०टी०, द्वाराहाट, अल्मोडा - सदस्य
- उक्त समिति से अपेक्षा की गयी कि संबंधित प्रकरणों का निस्तारण कर आख्या विश्वविद्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- बी०टी०के०आई०टी० द्वाराहाट के छात्रों का विवरण भी संलग्न (संलग्नक-2) है।


बिन्दु 32-05


अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद

आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं में सम्बद्ध संस्थानों को प्रश्नपत्र Digital Mail द्वारा प्रेषित किये जाने पर विचार।

बैठक में परीक्षा समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं में सम्बद्ध संस्थानों यथा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों को प्रश्नपत्र Password protection के साथ Digital Mail द्वारा प्रेषित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों के निदेशक द्वारा प्रश्न पत्र Digital Mail से प्रेषित किये जाने पर विचार व्यक्त करते हुए अनुरोध किया गया है कि परीक्षा के दिनों में प्रिन्ट आउट निकालकर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु संस्थान को Contingency दिया जाय। इस काम में परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि संबंधित संस्थानों को प्रश्नपत्र प्रिन्ट किये जाने के संबंध में होने वाले वास्तविक व्यय का प्रतिपूर्ति मांग किये जाने पर की जा सकत है। शेष Contingency भुगतान के संबंध में आगामी वित्त समिति में प्रस्ताव रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

अन्त में परीक्षा समिति की 32 वीं बैठक अध्यक्ष महोदय व सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के सा सम्पन्न हुयीं।

  
(परीक्षा नियंत्रक)  
सदस्य

  
(मा० कुलपति)  
अध्यक्ष



# वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

**VEER MADHO SINGH BHANDARI UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY, DEHRADUN**

(Formerly Uttarakhand Technical University Established By Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)

Chakrata Road P.O. Chandanwadi, Premnagar suddholwal, Dehradun, Uttarakhand (India)

Tel. No. 0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

पत्रांक. 2445 / परीक्षा समिति / यूटीयू / 2022

दिनांक: 01 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सादर संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. परीक्षा समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को सूचनार्थ।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड हेतु।

(परीक्षा नियंत्रक)  
सदस्य

**बीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की दिनांक  
23.03.2023 को सम्पन्न हुई परीक्षा समिति की 33 वीं बैठक का कार्यवृत्त**  
बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1.	प्रो० ओंकार सिंह, कुलपति, वी०मा०सि०भ०, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून	अध्यक्ष
2.	डॉ० कुसुम अरुणाचलम, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, दून विश्वविद्यालय देहरादून	सदस्य (ऑनलाइन)
3.	डॉ० डी०एस० मूर्ति, प्रोफेसर, कालेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी, जी०बी०पी०यू०ए०टी०, पन्तनगर	सदस्य (ऑनलाइन)
4.	डॉ० एस० नैथानी, ई०सी०ई०, निदेशक, आई० टी० गोपेश्वर	सदस्य
5.	प्रो० एम०के० पाण्डा, ई०ई०डी०, जी०बी०पी०आई०ई०टी०, पौड़ी	सदस्य (ऑनलाइन)
6.	डॉ० अनिरुद्ध गुप्ता, प्रोफेसर, एम०ई०, बी०टी०के०आई०टी०, द्वाराहाट, अल्मोड़ा	सदस्य
7.	डॉ० अजीत सिंह, प्रोफेसर, सी०एस०ई०, बी०टी०के०आई०टी०, द्वाराहाट, अल्मोड़ा	सदस्य (ऑनलाइन)
8.	कुलसचिव, वी०मा०सि०भ०, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	वित्त नियंत्रक, वी०मा०सि०भ०, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	परीक्षा नियंत्रक, वी०मा०सि०भ०, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून	सदस्य

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व मा० कुलपति महोदय/अध्यक्ष, परीक्षा समिति द्वारा समिति के सभी सदस्यों एवं आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया गया जिसके उपरान्त बैठक प्रारम्भ की गयी।

बिन्दु संख्या-33-01-

परीक्षा समिति की 32 वीं बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि।

विनिश्चय-

परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा समिति की 32 वीं बैठक दिनांक 16.11.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-33-02-

विश्वविद्यालय की जनवरी-फरवरी, 2023 में सम्पन्न विषम सेमेस्टर परीक्षाओं व स्पेशल बैक पेपर परीक्षाओं की विस्तृत सूचना एवं कृत कार्यवाही पर अनुमोदन।

विनिश्चय-

परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय की जनवरी-फरवरी, 2023 में विषम सेमेस्टर परीक्षाओं व स्पेशल बैक पेपर दिनांक 12.01.2023 से प्रारम्भ हुई। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में संबंधित परीक्षाओं का सफल संचालन हेतु 61 पर्यवेक्षक तैनात किये गये। परीक्षाओं के सुचारु संचालन एवं नकल विहीन परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु विभिन्न जोन यथा- रुड़की, कुमायूं जोन एवं देहरादून जोन में पर्यवेक्षक के साथ-साथ 03 उडन दस्तें (10 सदस्य) नियुक्त किये गये। उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, मा० कुलपति महोदय द्वारा भी परीक्षा के दौरान विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। परीक्षाओं को पारदर्शी बनाये जाने हेतु समस्त परीक्षा केन्द्रों में CCTV कैमरें स्थापित करवाये गये। परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को परीक्षा केन्द्रों डिजिटल मोड UMS Portal के माध्यम से प्रेषित किये गये। उक्त परीक्षा के सफलता पूर्वक सम्पन्न कराये जाने पर परीक्षा समिति द्वारा डिजिटल आदि कार्यों की सन्तोष/प्रसन्नता प्रकट की गयी एवं सम्पूर्ण कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

परीक्षा समिति के सदस्य द्वारा समिति के समक्ष प्रश्न उठाया गया है कि विगत में पेपर सैटर एवं अन्य से संबंधित देयकों को भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा समय से नहीं किया जाता रहा है।

परीक्षा समिति द्वारा उठाये गये प्रश्न का संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया गया है कि पेपर सैटर एवं अन्य आदि से संबंधित लम्बित देयकों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा 30 अप्रैल, 2023 तक किया जाय।

बिन्दु संख्या-33-03

एम0फॉर्म एवं एम0टैक पाठ्यक्रमों के Thesis/ Dissertation को विश्वविद्यालय में मौजूद Turniti Software गुणवत्ता परीक्षण (Plagiarism Check) कराये जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन

विनिश्चय-

बैठक में चर्चा के उपरान्त उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थानों में संचालित एम0फॉर्म एवं एम0टैक पाठ्यक्रमों की Thesis/ Dissertation को विश्वविद्यालय में मौजूद Turnitim Software के माध्यम से मिलान परीक्षण (Plagiarism Check) कराया जाय तथा विश्वविद्यालय की IT Cell इस कार्य के लिए समस्त निदेशकों को UMS से Link उपलब्ध कराते हुए अथवा यथा निर्धारित व्यवस्थानुसार संस्था सतर से Similarity check कराये जाने के Document विश्वविद्यालय में प्राप्ति के 72 घंटे में Report उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या-33-04-

काफी समय से लम्बित रामानन्द इस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी एण्ड मैनेजमेंट, हरिद्वार के MBA Integrated (MAM) सत्र 2014-2019, 2015-2020 एवं 2016-2021 की अंक पत्र मैनुवल तैयार करने पर चर्चा एवं निर्णय।

विनिश्चय-

परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान रामानन्द इस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी एण्ड मैनेजमेंट, हरिद्वार के MBA Integrated (MAM) सत्र 2014-2019, 2015-2020 एवं 2016-2021 की मार्कसीट मैनुवल तैयार किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए निर्देश दिये गये हैं कि उक्त सत्रों के मार्कसीट से संबंधित डाटा को मेन डाटाबेस में भी सुरक्षित रखा जाय।

बिन्दु संख्या-33-05-

16, जनवरी, 2023 की परीक्षाओं में आई0टी गोपेश्वर द्वारा चार छात्रों को बी0टैक सिविल इंजी0 VII Sem स्पेशल बैक पेपर परीक्षा में VIII Sem BCET-802 Seismology & Earthquake Resistance Design of Building का पेपर कराया गया, उस पर चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय-

परीक्षा समिति द्वारा आई0टी गोपेश्वर संस्थान के 04 ऐसे छात्रों की 16, जनवरी, 2023 की उत्तर पुस्तिकाओं जो उनके स्तर से गलत विषय की परीक्षा दिलाये जाने से संबंधित हैं, को निरस्त करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि संबंधित संस्थान को निर्देशित किया जाय कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो तथा छात्रों को उनके हेतु निर्दिष्ट विषयों की परीक्षा ही दिलायी जायें।

बिन्दु संख्या-33-06-

परीक्षा केन्द्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका के समय पर विश्वविद्यालय में न जमा किये जाने के प्रकरणों पर चर्चा निर्णय

विनिश्चय-

Kukreja Institute of Pharmacy, Dehradun द्वारा दिनांक 18.01.2023 को BP-702T Roll No-191640300008 (संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये डिस्पैच मेमो) की एक उत्तर पुस्तिका समय 1:30 से 4:30 बजे एवं Doon Business School, Dehadun द्वारा 22.02.2023 को MBAT-435, 412, 434 (तीन पैकेट) समय 1:30 से 4:30 बजे सम्पन्न करायी गयी परीक्षा, की उत्तर पुस्तिकायें निर्धारित तिथि

को विश्वविद्यालय में जमा न किये जाने पर परीक्षा समिति द्वारा संस्था स्तर से किये गये कदाचार के दृष्टिगत निर्णय लिया गया है कि दोनों संस्थानों द्वारा उक्त विषयों कि एक दिन विलम्ब से जमा करायी गई उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन न कराते हुए संबंधित छात्रों को संदर्भित परीक्षाओं को निरस्त करते करें एवं संस्था को इस हेतु उत्तरदायी ठहराते हुए उन्हें चेतावनी देने का निर्देश दिया गया।

बिन्दुसंख्या-33-07-

उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन जो वर्तमान में सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मोड में मूल्यांकन किया जा रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मोड में किये जाने पर UG एवं PG के लिए उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकित किये जाने की सीमा बढ़ाकर 100 उत्तर पुस्तिकायें प्रतिदिन मूल्यांकन किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय-

बैठक में चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकायें डिजिटल ऑनस्क्रीन मूल्यांकनकर्ता को 24 घंटे ऑनलाइन मूल्यांकन की सुविधा प्रदान होने के कारण मूल्यांकन हेतु UG एवं PG के लिए अधिकतम सीमा 100 उत्तर पुस्तिकायें प्रतिदिन मूल्यांकन किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। साथ ही इस संशोधन के आलोक में परीक्षा समिति द्वारा पूर्व से तय एक सेमेस्टर में किसी मूल्यांकनकर्ता को अधिकतम रू0 30000/-की धनराशि की सीमा को मूल्यांकन कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से शिथिल करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या-33-08-

विषम सेमेस्टर 2022-23 एवं स्पेशल बैंक पेपर परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्रों यथा-BEET501 & BSCT201 (BTKIT को छोड़कर), BCST503, MPH101T, BEET305, MPC102T, MPC103T, LPG111 & MBAT355 में किये गये संशोधन की सूचना।

विनिश्चय-

बैठक में चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया है कि विषम सेमेस्टर 2022-23 एवं स्पेशल बैंक पेपर परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्रों यथा-BEET501 & BSCT201 (BTKIT को छोड़कर), BCST503, MPH101T, BEET305, MPC102T, MPC103T, LPG111 & MBAT355 विषयों में तत्समय जो संशोधन किये गये पर परीक्षा समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि जिन परीक्षकों द्वारा उपरोक्त विषय के प्रश्न पत्र निर्माण किये गये उन परीक्षकों के दो देयकों के स्थान पर एक देयक का भुगतान किया जाय। आगामी परीक्षाओं हेतु नई मॉडरेशन कमेटी नियुक्त की जाय एवं मॉडरेशन कार्य गम्भीरता से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, तथा ऐसे प्रश्न पत्र निर्माताओं के स्तर से शिथिलता बरते जाने के स्थापित होने की दशा में उन्हें आगामी सेमेस्टर (सम सेमेस्टर-2022-23) परीक्षा कार्यों से वंचित रखा जाय।

बिन्दु संख्या-33-09-

BEET501 के प्रश्नपत्र में संशोधन के उपरान्त कतिपय छात्रों द्वारा 'B' उत्तर पुस्तिका के उपयोग के संबंध में चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय-

बैठक में चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया है कि BEET501 के प्रश्नपत्र में संशोधन के उपरान्त संस्थानों-यथा-College of Engineering, Roorkee, BTKIT, Dwarahat, Almora, NPSEI, Pithoragarh & RIT द्वारा संबंधित विषय की 'B' उत्तर

पुस्तिका के उपयोग की गयी है, उन उपयोग की गयी 'B' उत्तर पुस्तिका को भी मूल्यांकित की जाय।

बिन्दु संख्या-33-10-

तुलाज संस्थान के एक छात्र की BMET801 Operation Research विषय की दो उत्तर पुस्तिकाओं विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा एवं निर्णय

विनिश्चय-

परीक्षा समिति द्वारा संबंधित प्रकरण पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि तुलाज संस्थान द्वारा सम सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर-2023 Roll No-180120104016 के BMET801 Operation Research के विषय की दो उत्तर पुस्तिकाओं प्राप्त होने के कारण संबंधित परीक्षा के प्रकरण के प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होने के कारण मामले की विस्तृत जांच करने हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया गया है:-

1	डॉ० अनिरुद्ध गुप्ता, प्रोफेसर, एम०ई०, बी०टी०के०आई०टी, द्वाराहाट, अल्मोड़ा	अध्यक्ष
2	प्रो० एम०के० पाण्डा, ई०ई०डी०, जी०बी०पी०आई०ई०टी०, पौड़ी	सचिव
3	डॉ० कुसुम अरुणाचलम, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, दून विश्वविद्यालय देहरादून	सदस्य

उक्त समिति से अपेक्षा की जाती है कि संबंधित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त पर जांच कर कारणों, इस मामले में कार्यवाही की संस्तुति तथा पुनरावृत्ति रोकने हेतु सुझावों के साथ आख्या अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

बिन्दु संख्या-33-11-

विषम सेमेस्टर 2022-23 एवं स्पेशल बैक पेपर परीक्षाओं (जनवरी-फरवरी,2023) में अनुचित साधन प्रयोग की सूचना।

विनिश्चय-

विषम सेमेस्टर 2022-23 एवं स्पेशल बैक पेपर परीक्षाओं (जनवरी-फरवरी,2023) में सम्पन्न हुई समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में अनुसूचित साधन प्रयोग (UFM) में इस तरह के मामलों पर गठित समिति की सस्तुतियों पर अन्तिम निर्णय के लिए परीक्षा समिति द्वारा मा० कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या-33-12-

विषम सेमेस्टर 2022-23 एवं स्पेशल बैक पेपर परीक्षाओं (जनवरी-फरवरी,2023) में रुड़की, हरिद्वार क्षेत्र की संस्थाओं में परीक्षाओं में कतिपय गड़बड़िया संज्ञान में आने पर गठित जांच समिति की आख्या पर विचार।

विनिश्चय-

बैठक में परीक्षा समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त विषम सेमेस्टर 2022-23 एवं स्पेशल बैक पेपर परीक्षाओं (जनवरी-फरवरी,2023) में रुड़की एवं हरिद्वार क्षेत्र के कतिपय संस्थानों यथा-Amrit Law College, Roorkee, Arihant Law College, Roorkee, Haridwar, BSM College of Engineering, Roorkee, Bishamber Sahai Management Institute (BSI Group of Institutions, Roorkee & Chaman law College, Roorkee में कतिपय गड़बड़ी से संबंधित जांच समिति की जांच रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए निम्नवत् निर्णय लिया गया है-

1. अमृत लॉ कालेज, रुड़की के Principal, Dr. Jitendra Dagar जो कि संबंधित परीक्षा हेतु केन्द्राध्यक्ष नियुक्त होने के उपरान्त LLM-I Sem की परीक्षा अपने संस्थान में दी गयी, उनके द्वारा दी गयी LLM-I Sem की परीक्षा को परीक्षा समिति द्वारा निरस्त कर दी गई।

2. संबंधित संस्थानों यथा—Amrit Law College, Roorkee, Arihant Law College, Roorkee, Haridwar, Bishamber Sahai Management Institute (BSI Group of Institutions, Roorkee & Chaman law College, Roorkee को आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।
3. BSM College of Engineering, Roorkee के निदेशक को परीक्षाओं के संचालन में विश्वविद्यालय के निर्देशों का समग्रता से अनुपालन हेतु सुझाव दिया जाये।

बिन्दु संख्या—33—13—

विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर 2022—23 की आगामी परीक्षाओं को पुर्ननिर्धारित एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार सम्पादित कराये जाने हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण, माडरेशन, केन्द्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक, उडन दस्तें की तैनाती आदि पर विचार।

विनिश्चय—

परीक्षा समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त प्रस्तावनुसार आगामी 2022—23 की परीक्षाओं हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही के अनुमोदन प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—33—14—

अध्यक्ष एवं मा0 कुलपति महोदय की अनुमति के उपरान्त


अन्य बिन्दु


विश्वविद्यालय में वर्ष 2017 में पी0एच0डी0 प्रवेश पर संस्थित खुली सर्तकता जांच के कारण पी0एच0डी0 परीक्षा के उत्पन्न व्यवधान के संबंध में प्रस्ताव—


विनिश्चय—

परीक्षा समिति द्वारा उत्तराखण्ड शासन द्वारा आदेश संख्या—367/XL I-1/18-115/ VIP/2017 Dated 19 March, 2018 शासनादेश संख्या—97/XXX-3/1015//27(05)2020. Dated 20 March, 2020 के द्वारा वर्ष 2017 में प्रवेश लिये पी0एच0डी0 पर खुली सर्तकता जांच के आलोक में विश्वविद्यालय स्तर से 2017 में पजीकृत पी0एच0डी0 शोधार्थियों के प्रकरणों पर विगत से कार्यवाही रूकी होने को यथावत रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही मामलों में राज्य सरकार द्वारा करायी जा रही जांच की समाप्ति पर प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया।

अन्त में परीक्षा समिति की 33 वीं बैठक अध्यक्ष महोदय व सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

  
(परीक्षा नियंत्रक)  
सदस्य

  
(मा0 कुलपति)  
अध्यक्ष



16

# वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

## Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)  
Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand (India)  
Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

### ॥ आदेश ॥

तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 08/XLI-A/21-41/10 TC-1 दिनांक 05 जनवरी 2021 के द्वारा श्री सुनील कुमार व्याख्याता राजकीय पालीटेकनिक जाखणीधार की सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर साइंस के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में अग्रिम आदेशों तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। श्री कुमार द्वारा शासनादेश के अनुरूप विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के ऑनलाईन एवं ऑफलाईन सफल आयोजन में अपना योगदान दिया जा रहा है।

उक्त क्रम में माननीय कुलपति महोदय, वीर माधो सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से अनुमोदनोपरान्त श्री सुनील कुमार को उनकी विशेषज्ञता एवं अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से माननीय कुलपति महोदय का स्टाफ आफिसर नियुक्त किया जाता है।

श्री सुनील कुमार द्वारा स्टाफ आफिसर के दायित्वों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के निम्नवत कार्यों में भी योगदान दिया जायेगा-

- विश्वविद्यालय के कार्यों का पूर्ण रूप से डिजीटलीकरण किये जाने University Management System के नोडल अधिकारी के रूप में सहयोग प्रदान करना।
- विश्वविद्यालय में विभिन्न ऑनलाईन कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर Presentation तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
- विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के डिजीटलीकरण कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- परीक्षा कार्यों में सहयोग प्रदान करना।
- कुल सचिव द्वारा समय-समय दिये गये शासकीय कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

शासनादेश के अनुसार श्री कुमार का वेतन आदि उनके संस्थान से पूर्व की भौति आहरित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु श्री कुमार को कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जायेगा।

(आर पी० गुप्ता)  
कुल सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

पृ०सं० .....2042...../यू०टी०यू०/स्था०/पी०एफ०/2022-23 दिनांक .....16.....अक्टूबर 2022

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून को कुलपति महोदय के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर गढ़वाल।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेकनिक जाखणीधार (टिहरी गढ़वाल)।
5. वित्त नियंत्रक, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून।
6. परीक्षा नियंत्रक, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून।
7. श्री सुनील कुमार, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

(आर पी० गुप्ता)  
कुल सचिव



## **Staff Officer to Vice Chancellor, VMSB Uttarakhand Technical University, Dehradun**

### **1. General**

It is additional responsibility that may be given to any officer of University / Institutions and shall be co-terminus with the particular Vice Chancellor who appointed him for the purpose and shall not be entitled for any additional salary/allowances. The post holder will be expected to provide a confidential and professional support service to the Vice-Chancellor apart from the regular staff of Vice Chancellor Office such Senior Personal Assistant/Personal Assistant. The post holder will report to and work directly with the Vice-Chancellor to frame internal and external activities. This is a senior post offering excellent development opportunities within a diverse and complex environment. This officer should therefore have previous experience of working in a senior secretariat/personal assistant role including dealing with a wide range of people. It is additional responsibility that may be given to any officer of University / Institutions and shall be co-terminus with the particular Vice Chancellor who appointed him for the purpose and shall not be entitled for any additional salary/allowances. Staff Officer shall be working in coordination with Personal Assistant/Senior Personal Assistant to Vice Chancellor and other staff in Vice Chancellor Office as per requirement.

### **2. Duties and Responsibilities**

- i. To maintain daily schedules and co-ordination of the Vice-Chancellor's commitments
- ii. To arrange and coordinate appointments and meetings for the Vice-Chancellor
- iii. Preparation of all correspondence and other documentation as may be requested by the Vice-Chancellor from time to time
- iv. Advising the Vice-Chancellor of impending internal and external work
- v. To make all logistical arrangements, including travel, for the Vice-Chancellor his/her deputies
- vi. To respond accurately and efficiently to all enquiries from the Vice-Chancellor and his/her deputies, using own initiative and to liaise effectively with internal and external contacts.
- vii. Independently research confidential, controversial and restricted data other material as required by the Vice-Chancellor and his deputies for various projects.
- viii. To assist in the preparation of all international travel itineraries and as such, coordinate all arrangements for the international visits where the Vice-Chancellor has involvement
- ix. To appropriately execute any other duties as directed by the Vice-Chancellor, or other senior university officers.

### **3. Minimum Qualification and Attributes**

- i. Candidate should be a graduate from any recognized university
- ii. Possessing a tenacious attitude, friendly, honest, trustworthy, respectful and flexible
- iii. Proficiency with multiple Microsoft office systems and other related software
- iv. Excellent communicator, a good listener and dedicated to detail
- v. A wide exposure, broad knowledge and up to date with current affairs
- vi. Able to work perfectly under strict deadlines
- vii. Able to take up emergency assignments and perform them effectively
- viii. Upholds sound work ethics and is highly disciplined
- ix. Cultural awareness and sensitivity thereof
- x. Able to work with minimal supervision, independently or as part of a team